

विभाग का नाम	लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) का वर्ष	कार्यान्वयन हेतु लबित कंडिकाए	कंडिकाओं की संख्या	कुल संख्या
वित्त विभाग (Finance Department)	386	1990-00	8.2,5.2,9.6(ग),3.7	4	



बिहार विधान-सभा

लोक-सेवा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 386

वित्त विभाग से संबंधित भारत के निर्यात महासेवापरीषद के मंचेदन
प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 (जिविल) की कर्मचारियों पर लोक-सेवा
समिति का प्रतिवेदन ।

दिनांक.....को सदन में उपस्थापित ।

वित्त विभाग वर्ष - 1999-2000

क्र. सं. का क्र.	विवरण	विभाग का स्पष्टीकरण	संशोधन का निष्कर्ष/अनुशंस
1.7	<p>राज्य की वित्तीय स्थिति :-</p> <p>शासकीय लेखाकरण पद्धति में सरकार द्वारा स्वामित्व भूमि एवं भवन इत्यादि जैसी अचल सम्पत्तियों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता है। हालांकि, शासकीय लेखों में सरकार का वित्तीय दायित्व एवं सरकार द्वारा किए गए व्यय में भूजित परिसम्पत्तियों सम्मिलित की जाती है। 31 मार्च 1999 की स्थिति का अनुकूची तुलना करते हुए 31 मार्च 2000 की ऐसे दायित्वों एवं परिसंपत्तियों को संक्षिप्त सूची प्रदर्शित करता है। इस विवरणों के दायित्वों में मुख्यतः जाहूय एवं अंतः ऋण, भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं पेशगीर्ण, लोक लेख से प्राप्तियाँ एवं असंश्लित निधि सम्मिलित हैं जबकि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिष्कार, राज्य सरकार द्वारा किए गए कर्ज एवं पेशगीर्ण तथा संकट शोध सम्मिलित हैं। प्रदर्शित स इच्छा तथा कि मुख्यतः शासकीय खातों के घाटे में अत्यधिक वृद्धि (48.09 प्रतिशत) के परिणामस्वरूप ही वर्ष 1999-2000 के दौरान परिसम्पत्तियों में 3.72 प्रतिशत की गिरावट हुई जबकि दायित्वों में 12.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। घाटे में चढ़ने वाले माक 878 उपक्रमों जिसमें अधिकतर को अल्प क्षमता थी, में किया गया निवेश (58.9 करोड़ रुपये) परिसम्पत्तियों में शामिल था। अन्यथा, वित्तीय स्थिति और बदतर होता है।</p>	<p>यह एक तथ्यात्मक विवरण है। राज्य सरकार द्वारा समेकित निधि से राजस्व एवं पूंजीगत व्यय किया जाता है। पूंजीगत व्यय अधिक किये जाने पर परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है, जिसकी तुलना दायित्व से करने पर वित्तीय स्थिति का आकलन होता है। कई मरों पर व्यय की प्रकृति पूंजीगत होती है, पर लेखा में राजस्व व्यय की रूप में दर्ज की जाती है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 14362.43 करोड़ रुपये राजस्व व्यय हुए थे, जिसमें कि 1544.54 करोड़ रुपये योजना मद के थे। अगर यह राशि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत विखलायी जाती तो राजस्व घाटा अपेक्षाकृत कम होता और पूंजीगत व्यय भी अधिक होता। अब यह प्रयास रहा है कि यथा संगत योजना मदों पर होने वाले व्ययों को पूंजीगत व्यय की श्रेणी में दिखलाया जाय, जिससे कि सही वित्तीय स्थिति आकलित हो। उपर्युक्त के आलाोक में वित्त विभाग में लंबित कौटुकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।</p>	<p>विभागीय स्पष्टीकरण एवं बांझित सूचनाओं के उन्पर के आलाोक में संशोधन में दि० 15.01.03 की बैठक में कौटुका को निदेश के साथ निष्यादित किया। संशोधन ने राजस्व की लक्ष्य से कम धमूली पर विना प्रकट करते हुए लक्ष्य आयुक्त तथा प्रत्येक तीन माह पर राज्य राजस्व परा० के बैठक पर प्रगति प्रतिवेदन मांमति को देने और वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक उः माह में 'मॉन्टेशी' कर सुन्याकित प्रतिवेदन संशोधन का भी का निदेश दिया।</p>
2. 1. 3.1	<p>निधि का स्रोत एवं उपयोग</p> <p>भण्डू एवं पिछले वर्ष के शेष निधियों के स्रोत एवं उपयोग की स्थिति को दर्शाता है। में दिया गया है। निधियों के मुख्य स्रोत में सरकार की राजस्व प्राप्ति, कर्ज एवं पेशगीर्णों की धमूली, लोक ऋण एवं माक खातों में प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। इनका उपयोग मुख्यतः राजस्व एवं पूंजीगत व्यय पर तथा विकासलािक उद्देश्यों के लिए उभार देने हेतु किया जाता है।</p> <p>राज्य सरकार के विभिन्न निधियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत राजस्व प्राप्ति है। उद्योगिक राजस्व प्राप्ति में कुल वित्तगत वृद्धि 14.67 प्रतिशत का फिर भी कुल प्राप्ति में 34% अपेक्षित अंश वर्ष 1998-99 के 71.70 प्रतिशत में गिर कर वर्ष 99-2000 में 63.95 प्रतिशत हो गया। कर्ज एवं पेशगीर्णों की धमूली प्रति तुल्य थी और यह भी 20% प्रतिशत में गिर कर 15% प्रतिशत हो गई। मुख्यतः कर्ज प्रदर्शित 14% करोड़ रुपये में माक वृद्धि के कारण लोक खातों में वित्तगत प्राप्ति का हिस्सा 1998-99 के 2.86 प्रतिशत में बढ़कर वर्ष 99-2000 में 7.05 प्रतिशत हो गया। लोक ऋण में प्राप्ति 23.39 प्रतिशत में अपेक्षित 20% प्रतिशत हो गयी। परिणाम स्वरूप राजस्व प्राप्ति का योग वित्तगत व्यय के दौरान 14% करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी का पूरा योग में फिर 48% शेष में 2080.67 करोड़ रुपये को मुक्त माना आहोत है।</p>	<p>यह एक तथ्यात्मक विवरण है। राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति में तीन स्रोतों में शरिणी प्राप्त होती है:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) (क) फंडीय करों में प्राप्त होने वाली राज्य के हिस्से (ख) फंडीय अनुदान (2) कर राजस्व (3) गैर कर राजस्व <p>1999-2000 में वृद्धि करने आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकार ने लागू किया था, जिसके कारण 2460.00 करोड़ रुपये की वृद्धि वित्तगत मद में 14.67% व्यय में हुआ था इसके प्रतिपूर्ति मुख्यतः संकट शोध से आहूतित कर हुई। उल्लेखित शेषों के आलाोक में इस कौटुका को विगत विभाग की संशोधन कौटुकाओं की सूची में विलोपित करने की कृपा की जाय।</p>	<p>विभागीय प्रतिवेदन के आलाोक में इस कौटुका को राजस्व घाटा कम करने के निदेश के साथ संशोधन एवं माक बढ़ाने का निदेश है। राजस्व घाटा कम करने हेतु विभाग संशोधन का प्रस्ताव करे और प्रत्येक तीन माह पर राज्य राजस्व परा० में प्रगति प्रतिवेदन संशोधन का भी का निदेश दिया।</p>

3	<p>3.1. निधियों का उपयोग मुख्यतः राजस्व व्यय के लिए होता था, जिसका अंश (86.17 प्रतिशत) राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों (63.95 प्रतिशत) के अंश में स्पष्टतः उच्चतर था। इस कारण राजस्व घाटे में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वर्ष 1998-99 के 2267 करोड़ रुपये से वर्ष 1999-2000 में 3703 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय की नगण्यता जारी थी जो मात्र 7.40 प्रतिशत ही थी। विकासात्मक उद्देश्यों के लिए कर्ज देने में 4.46 प्रतिशत से बढ़कर 6.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हालांकि इसका मुख्य कारण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को दो गई अल्पकाल ऋण की राशि (981 करोड़ रुपये), जिसमें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के की आर से प्रत्याभूति देने हेतु 216 करोड़ रुपये का ऋण शामिल था।</p>	<p>प्रतिवदन मुख्यतः तथ्यात्मक है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में पंचम वतन आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार ने लागू किया था, जिसके कारण वतन दर में 2460.00 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। अचल परिसंपत्तियों के निर्माण पर हुए व्यय को भी कभी कभी राजस्व व्यय के शीर्ष में प्रदर्शित किये जाने के कारण पूंजीगत व्यय में वास्तविक में कम व्यय परिलक्षित होती है। अब प्रयास किया जा रहा है कि यथा संभव योजना व्यय एवं अन्य पूंजीगत व्यय को संगत शीर्षों में दर्शाया जाय। उपरोक्त के आलोक में इस कड़िका को वित्त विभाग में लंबित कड़िकाओं की सूची के विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।</p>	<p>विभागीय उत्तर के आलोक में विमर्शोपगत समिति ने दि० 15.01.03 की बैठक में इस कड़िका को निम्न निदेश के माध्यम से निष्काटित किया। दि० वर्ष 2003-04 है अचल परिसम्पत्तियों के निर्माण पर होनेवाले व्यय को राजस्व व्यय शीर्ष के बदले पूंजीगत व्यय शीर्ष में प्रदर्शित करने का निदेश समिति ने विभाग को दिया।</p>
4	<p>4.1. पूंजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण से 3473 करोड़ रुपये तथा ऋण एवं पेशगीयों की वसूली से 12 करोड़ रुपये सम्मिलित थे।</p> <p>4.2. इसके विरुद्ध पूंजीगत परिवर्ष पर 1233 करोड़ रुपये, ऋण एवं पेशगीयों के संवहरण पर 1072 करोड़ रुपये तथा लोक ऋण के अदायगी पर 799 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। लोक संस्था में कुल भिलाकर 5033 करोड़ रुपये की प्राप्तियों के विरुद्ध 3773 करोड़ रुपये आहरित किए गए थे। वर्ष के अन्त में एकलुह राश में 7061 करोड़ रुपये की कमी संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक संस्था में सेन-दन का निवल परिणाम था।</p>	<p>यह एक तथ्यात्मक विवरणी है। राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों से भी जो राशि प्राप्ति होती है, उसे राज्य के समकित निधि में जमा किया जाता है और उस समेकित निधि से राजस्व एवं पूंजीगत दोनों तरह के व्यय किये जाते हैं। उपरोक्त के आलोक में इस कड़िका को वित्त विभाग में लंबित कड़िकाओं की सूची के विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।</p>	<p>विभागीय उत्तर एवं विमर्शों के आलोक में दि० 15.01.03 की बैठक में समिति ने इस कड़िका के विषय में सुधार के निदेश के माध्यम से निष्काटित किया।</p>
5	<p>4.3. प्रदर्श- 11 में सम्मिलित सूचना एवं प्रदर्श IV में प्रस्तुत वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक बीच वर्षों की अवधि के लिए समवकद आकड़ों के संदर्भ में राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय से संबंधित इसके वित्तीय संचालन की चर्चा नीचे की कड़िकाओं में की गयी है।</p>	<p>यह एक तथ्यात्मक विवरणी है। उपरोक्त के आलोक में इस कड़िका को वित्त विभाग में लंबित कड़िकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।</p>	<p>विभागीय उत्तर के आलोक में समिति ने इस कड़िका को दि० 15.1.03 की बैठक में निष्काटित किया।</p>
6	<p>5.1. 1.5 राजस्व प्राप्तियों में मुख्यतः कर एवं करतर राजस्व तथा भारत सरकार (भारत स०) से प्राप्तियों सम्मिलित है। उनके पारस्परिक अंश आरेख-1 में दिखाए गए हैं। वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वार्षिक वृद्धि औसतन 9 प्रतिशत थी।</p>	<p>यह एक तथ्यात्मक विवरणी है। उपरोक्त के आलोक में इस कड़िका को वित्त विभाग में लंबित कड़िकाओं की सूची के विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।</p>	<p>विभागीय उत्तर के आलोक में इस कड़िका को समिति ने दि० 15.1.03 की बैठक में निष्काटित किया।</p>
7	<p>5.2. कर राजस्व:- ये राजस्व प्राप्तियों के कुल 29 प्रतिशत थे। वर्ष 1998-99 से 1999-2000 के दौरान इनका अंश 29 प्रतिशत पर स्थिर था। प्रदर्श- IV दर्शाता है कि बिना कर, राज्य उत्पाद तथा भुगतान एवं विनियम जैसे कर राजस्व के प्रमुख संघटक का सामेक्ष योगदान वर्ष 1995-2000 की अवधि के दौरान लगभग स्थिर था।</p>	<p>यह एक तथ्यात्मक विवरणी है। 1995-96 में कर राजस्व राजस्व प्राप्तियों का 27 प्रतिशत था। 1999-2000 में कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों में 29 प्रतिशत हो गया। इस वृद्धि के आलोक में ये इस कड़िका को वित्त विभाग में लंबित कड़िकाओं की सूची के विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।</p>	<p>कर राजस्व की कुल राजस्व प्राप्तियों में इसका वृद्धि दर बढ़ा रहा है। इस निदेश के माध्यम से दि० 15.1.03 की बैठक में इस कड़िका को निष्काटित किया।</p>
8	<p>5.3. करतर राजस्व:- सरकार के राजस्व प्राप्तियों का 11 प्रतिशत करतर राजस्व था जो वर्ष 1995-96 के 12 प्रतिशत से नीचे था।</p>	<p>करतर राजस्व में मुख्यतः रायल्टी से राशि प्राप्त होती थी। 1995-2000 कुल करतर राजस्व का यह औसतन 10 प्रतिशत है। रायल्टी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। वित्तीय वर्ष 1995-96 में रायल्टी 769.00 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ।</p>	<p>विभागीय उत्तर के आलोक में समिति ने दि० 15.1.03 की बैठक में इस निष्काटित कर दिया।</p>

		जबकि 1999-2000 में इस धर में 707.50 करोड़ रुपये ही संग्रहित किया गया। इसी कारण कोरर राजस्व का हिस्सा कम हुआ।	
		उपरोक्त तथ्य के आलोक में इस कड़िका को वित्त विभाग में लंबित कड़िकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।	
9	1. 5.4 संचयित करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश एवं केंद्र सरकार से सहायतानुदान ये राजस्व प्राप्ति का बृहत अंश (60 प्रतिशत) था। वर्ष के दौरान भंग्य करों (उत्पाद शुल्क तथा आय एवं निगम कर) में राज्य का अंश 12 प्रतिशत बढ़ा था जबकि केंद्र सरकार से सहायतानुदान में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 1995-2000 के दौरान राजस्व प्राप्ति को प्रतिशतता के रूप में वं (दोनों एक साथ लेने पर) 43 प्रतिशत बढ़े थे।	यह एक तथ्यात्मक विवरणी है। उपरोक्त के आलोक में इस कड़िका को वित्त विभाग में लंबित कड़िकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।	दिनांक 15.1.03 की बैठक में संमति न विभागीय उत्तर के आलोक में इसे विधायित किया।
10	1. 6.1 1.6 राजस्व व्यय राज्य सरकार के व्यय का अधिकांश (86 प्रतिशत) राजस्व व्यय के रूप में दर्ज था एवं पूर्व वर्ष के अपेक्षा इसमें 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष के दौरान गैर योजना पर राजस्व व्यय में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि योजना पर 11 प्रतिशत की कमी आयी थी। मुख्यतः पुनरोक्ति वेतनमान में कटौती वेतन के भुगतान (1435 करोड़ रुपये), अधिक पेंशन भुगतान (216.50 करोड़ रुपये), अधिक ब्याज भुगतान (455 करोड़ रुपये) एवं कुतब खर्च (156 करोड़ रुपये) के कारण गैर योजना पर राजस्व व्यय में वृद्धि (2995 करोड़ रुपये) हुई थी।	यह एक तथ्यात्मक विवरणी है। उपरोक्त के आलोक में इस कड़िका को वित्त विभाग में लंबित कड़िकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।	दिनांक 15.1.03 की बैठक में संमति न विभागीय उत्तर के आलोक में इसे विधायित किया।
11	1. 6.2 छुण्डकार विश्लेषण दर्शाता है कि जब सामान्य सेवाओं पर व्यय 89 प्रतिशत बढ़त हुए वर्ष 1995-96 के 3441 करोड़ रुपये से वर्ष 1999-2000 में 6505 करोड़ रुपये हो गया, तब सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय में अनुरूपी वृद्धि क्रमशः मात्र 85 एवं 29 प्रतिशत थी। कुल व्यय के समानुपात के रूप में सामान्य सेवाओं का अंश वर्ष 1995-96 के 42 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 45 प्रतिशत एवं सामाजिक सेवाओं का अंश 36 प्रतिशत से 38 प्रतिशत हो गया था जबकि आर्थिक सेवाओं का अंश 22 प्रतिशत से गिर कर 16 प्रतिशत हो गया था। सामान्य सेवाओं में अधिकतर व्यय गैर योजना पर था।	यह एक तथ्यात्मक विवरणी है। सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर हुये व्यय का ब्यौरा अंकित है। सामान्य सेवाओं में अधिकतर व्यय गैर योजना पर होता है। 1999-2000 में पेंशन वेतन पुनरोक्ति के फलस्वरूप वेतन वृद्धि के कारण व्यय में वृद्धि हुई थी। सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत ही सूद एवं पेंशन मद की राशि का भुगतान किया जाता है जो राज्य का बचस्वद्ध दायित्व है। सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत ही पुलिस प्रशासन का व्यय सम्मिलित किया जाता है इसलिये सामान्य सेवाओं पर हुई व्यय वृद्धि औचित्य पूर्ण है। उपरोक्त के आलोक में इस कड़िका को वित्त विभाग में लंबित कड़िकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।	विभागीय प्रतिवेदन के आलोक में संमति अब इस आगे बढ़ाना नो चाहती है साथ ही ध्यात अनुशंसा करती है कि व्यय से सामाजिक आर्थिक एवं सामान्य सेवाओं के अनुपात का ध्यान रखा जाए।
12	1. 6.3 ब्याज भुगतान:- ब्याज भुगतान में वर्ष 1995-96 के 1668 करोड़ रुपये से वर्ष 1999-2000 में 2867 करोड़ रुपये होते हुए 51 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई थी। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 455 करोड़ रुपये (19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। इसकी नवीन आगे	यह एक तथ्यात्मक विवरणी है। ब्याज का सीधा संबंध ऋण के दायित्व पर होता है। 1995-96 में कुल लोक ऋण 12281.00 करोड़ रुपये का था, जिसमें औत्तरिक ऋण 3509.00 करोड़ रुपये एवं	विभागीय प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 15.1.03 की बैठक में संमति न विधायित में सुधार करने के निर्देश के साथ (से

	<p>वित्तीय सूचक के खण्ड (कॉडिका 1.11) में की गयी है।</p>	<p>केंद्र सरकार से प्राप्त खण्ड 8772.00 करोड़ रुपये, 1999-2000 में यह बढ़कर 21444.00 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें अतिरिक्त खण्ड 5582.00 करोड़ रुपये एवं केंद्र सरकार से प्राप्त खण्ड 15862.00 करोड़ रुपये थे। इसके अतिरिक्त भविष्य निधि पर ये जमा राशि पर भी राज्य सरकार को ब्याज देना पड़ता है। इसलिए ब्याज पर अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि हुई है। ब्याज का भुगतान सम्बंधित निधि पर भारित व्यवस्था है।</p> <p>उपरोक्त तथ्य के आलोक में इस कॉडिका को वित्त विभाग में लंबित कॉडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।</p>	<p>निष्पन्नित किया।</p>		
<p>13 1. 6.4</p>	<p>स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता वर्ष 1999-2000 का समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न स्थानीय निकायों आदि को मुहैया कराए गए सहायता के परिष्कार निम्नानुसार थे :</p> <p style="text-align: center;">(करोड़ रुपये में)</p>	<p>यह एक तथ्यात्मक विवरण है। नगर निगमों एवं पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचन होने के उपरान्त दशम् वित्त आयोग एवं एकादश वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि अब इसे उपलब्ध करायी जा रही है।</p> <p>उपरोक्त के आलोक में वित्त विभाग की लंबित कॉडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।</p>	<p>यह तथ्यात्मक विवरण है। परन्तु समिति महसूस करती है कि स्थानीय निकायों को सहायता राशि में एक मानदंड हो। इन अनुशंसा के माध्यम से वित्त इस कॉडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं।</p>		
	<p>1995-96</p>	<p>1996-97</p>	<p>1997-98</p>	<p>1998-99</p>	<p>1999-2000</p>
<p>विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान</p>	<p>273.29</p>	<p>337.93</p>	<p>382.82</p>	<p>417.34</p>	<p>518.65</p>
<p>नगर निगम एवं नगरपालिका</p>	<p>15.19</p>	<p>33.20</p>	<p>25.90</p>	<p>27.21</p>	<p>115.44</p>
<p>जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थान</p>	<p>31.47</p>	<p>4.34</p>	<p>26.37</p>	<p>5.89</p>	<p>8.93</p>
<p>विकास अधिकरण</p>	<p>513.76</p>	<p>335.73</p>	<p>241.64</p>	<p>226.86</p>	<p>34.76</p>
<p>अन्य संस्थान</p>	<p>14.47</p>	<p>82.85</p>	<p>113.45</p>	<p>181.93</p>	<p>29.29</p>
<p>योग</p>	<p>848.18</p>	<p>794.05</p>	<p>790.18</p>	<p>859.23</p>	<p>705.07</p>
<p>पूर्व वर्ष की अपेक्षा वृद्धि की प्रतिशतता</p>	<p>(-) 1.50</p>	<p>(-) 6.38</p>	<p>(-) 0.49</p>	<p>9.00</p>	<p>(-) 17.94</p>
<p>राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता</p>	<p>10.00</p>	<p>9.00</p>	<p>8.00</p>	<p>7.00</p>	<p>5.00</p>

वर्ष 1995-96 की तुलना में जिला परिषदों एवं पंचायतों राज संस्थानों को सहायता में पंचायतों में प्रतिनिधि नहीं रहने के कारण 78 प्रतिशत की गिरावट आई थी जबकि वर्ष 1999-2000 के दौरान नगर निगम एवं नगरपालिकाओं तथा विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थानों को सहायता में क्रमशः 660 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 1995-96 के तुलना में समग्रता के आधार पर वर्ष 1995-2000 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में 27 प्रतिशत की गिरावट आयी :

14	<p>1. 7.1 पूर्व के दो वर्षों, अर्थात् 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान पूँजीगत व्यय के अंश में अल्प वृद्धि हुई जो कुल व्यय के 6 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गई। प्रदर्श - IV दर्शाता है कि अधिकतर पूँजीगत व्यय योजना पक्ष के आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं पर किए गए थे। वर्ष के दौरान आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत परिव्यय मुख्यतः अन्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (620 करोड़ रुपये), ग्रामीण विकास कार्यक्रम (271 करोड़ रुपये), पथ एवं पुलों (158 करोड़ रुपये) एवं विद्युत परियोजना (74 करोड़ रुपये) के तहत थे जबकि सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत मुख्यतः जलापूर्ति (42 करोड़ रुपये), आवास (4 करोड़ रुपये), नगर विकास (43 करोड़ रुपये) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण (7 करोड़ रुपये) के तहत थे। सम्पत्ति में कम वृद्धि का मुख्य कारण पूँजीगत व्यय में कम निवेश का होना था।</p>	<p>यह एक तथ्यात्मक विवरणों है। वर्ष 98-99 में कुल पूँजीगत व्यय 824 करोड़ रु० का हुआ था। 1999 में 1233 करोड़ रु० का हुआ है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 409 करोड़ रु० अधिक है। अगर सिर्फ पिछले वर्ष से तुलना की जाए तो यह 49 प्रतिशत के लगभग अधिक है। कुल व्यय की तुलना करने से इसमें राशि कम नजर आती है। उपरोक्त तथ्य के आलोक में इस कठिना को वित्त विभाग में लंबित कठिनाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।</p>	<p>विभागीय प्रतिवेदन के आलोक में समिति रिपोर्ट- 15.01.03 की बैठक में इस निर्धारित किया।</p>																		
15	<p>1. 7.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं पेशागिरी विकासवात्मक एवं गैर विकासवात्मक गतिविधियों के लिए सरकारी कंपनियों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी निकायों, सहकारिताओं, गैर सरकारी संस्थानों इत्यादि को सरकार ऋण एवं पेशागिरी देती है। नीचे दी गयी विगत पाँच वर्षों की स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 1995-2000 के दौरान अदायगीयों नगण्य थी (आर्थिक शेष का 1 प्रतिशत से कम) एवं अंतरोप लगभग 20 प्रतिशत बढ़ा था। ऋणों की नगण्य अदायगी राज्य सरकार की दृष्टिकोण वित्तीय स्थिति के प्रमुख कारणों में से एक था तथा राजकोषीय घटा को बढ़ाने में स्पष्ट भूमिका अदा किया था। स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों, निजी संस्थानों, कंपनियों एवं व्यक्ति विशेषों को किए गए ऋणों, जिसके विस्तृत लेख प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारों), बिहार रखते थे, को घमेली सरदेवा दुन्दुभी एवं उनसे से 3041.23 करोड़ रुपये (मूलधन 1385.02 करोड़ रुपये तथा म्याज 1656.21 करोड़ रुपये) 31 मार्च 2000 तक बकाया थे। ऋणों का व्यौरा, जिसका विस्तृत लेख विभागीय अधिकारियों द्वारा संधारित किए जाते थे, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारों) को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार घमेली योग्य ऋण की वास्तविक राशि को कम करके बताया गया है।</p>	<p>राज्य सरकार द्वारा कुल दिये गये ऋणों की अवशेष 31 मार्च, 2000 को 6282.97 करोड़ रुपये था। राज्य सरकार को अपने विकासवात्मक एवं गैर विकासवात्मक कार्यों के लिए सरकारी कंपनियों, निगमों, स्वायत्त निकायों, सहकारिताओं, गैर सरकारी संस्थानों आदि को कर्ज देने पड़ते हैं। स्वायत्त निकायों में स्थापना मद में एक काफी बड़ा अंश ऋण के रूप में दिया जाता है। इन संस्थानों की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के कारण उनके द्वारा राज्य सरकार को वसूली योग्य ऐसे कर्जों की वापसी लगभग नगण्य रही है। सरकार के कर्मचारियों को दिये गये ऋणों से वापसी हो रही है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000 में विद्युत परियोजनाओं के लिए ही मुख्य रूप से ऋण दिये गये हैं। उपरोक्त तथ्य के आलोक में इस कठिना को वित्त विभाग में लंबित कठिनाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।</p>	<p>विभागीय प्रतिवेदन के आलोक में समिति रिपोर्ट- 15.01.03 की बैठक में इस निर्धारित किया।</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1995-96</th> <th>1996-97</th> <th>1997-98</th> <th>1998-99</th> <th>1999-2000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आरम्भिक शेष</td> <td>3689.5</td> <td>3801.67</td> <td>4027.1</td> <td>4654.79</td> <td>5223.25</td> </tr> <tr> <td>वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की राशि</td> <td>110.57</td> <td>235.43</td> <td>642.1</td> <td>578.56</td> <td>1071.79</td> </tr> </tbody> </table>		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	आरम्भिक शेष	3689.5	3801.67	4027.1	4654.79	5223.25	वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की राशि	110.57	235.43	642.1	578.56	1071.79		
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000																
आरम्भिक शेष	3689.5	3801.67	4027.1	4654.79	5223.25																
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की राशि	110.57	235.43	642.1	578.56	1071.79																

वर्ष के दौरान वायव्य को गई राशि	8.41 (0.22)	9.95 (0.26)	14.5 (0.38)	10.09 (0.22)	12.08 (0.23)		
अतिशेष	3801.7	4027.2	4654.	5223.3	6282.95		
शुद्ध जोड़	102.16	225.48	627.6	568.47	1059.71		
घात ब्याज	4.94 (0.13)	2.84 (0.07)	7.1 (0.1)	2.31 (0.05)	22.31 (0.43)		
टिप्पणी :- कोष्ठक के अंक आरम्भिक राशियों की प्रतिशतता सूचित करता है ।							
16	1.	1.8 व्यय की गुणवत्ता					
8.1	विधि-व्यवस्था सम्भालने से लेकर विभिन्न विकासत्मक गतिविधियों के नियामक कार्य-कलापों तक अनेक गतिविधियों के लिए सरकार राशि खर्च करती है । सरकारी खर्च को राजस्व एवं पूंजीगत के अधीन योजना एवं गैर योजना में विस्तृत तौर पर वर्गीकृत किया जाता है । योजना एवं पूंजीगत व्यय का संबंध साधारणतया संपत्ति सृजन से है, जबकि गैर योजना एवं राजस्व व्यय स्थापना, संभारण एवं सेवाओं पर व्यय के रूप में समझे जाते हैं । इस प्रकार परिभाषा के अनुसार आयु तौर पर पूंजीगत व्यय को व्यय की गुणवत्ता में योगदान के रूप में समझा जा सकता है ।					पूँजीगत व्यय को ही सिर्फ गुणवत्ता के योगदान के रूप में माना जाना ग्राहनीय नहीं है । योजना आयोग एवं भारतीय रिजर्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को अर्थव्यवस्था के विकास के लिए माना जाता है और सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाले व्यय को विकासोन्मुख व्यय की श्रेणी में रखा जाता है । विकासोन्मुख व्यय भी व्यय की गुणवत्ता में योगदान के रूप में माने जाते हैं । उपरोक्त तथ्य के आलोक में इस कॉटिका को वित्त विभाग में संबंधित कॉटिकाओं की सूची से क्लिपित करने की रूप की जा सकती है ।	विभागीय प्रतिवेदन के आलोक में समिति ने दिनांक- 15.01.03 की बैठक में इस निष्पत्ति किया ।
17	1.	लोक व्यय में वर्षादी विधियों का विपणन एवं अपूर्ण योजनाओं पर विधियों का अवरोध रहना भी व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मकता की ओर दृष्टिगोचर करतया । इस प्रकार विधियों को व्यय के रूप में दर्ज करने के बाद उन्हें लोक लेखा के जमा शीर्षों में स्थानान्तरित किया जाना भी व्यय की गुणवत्ता का निर्णय करने में नकारात्मकता के रूप में समझा जा सकता है । चूंकि संबंधित वर्ष में व्यय वास्तविक तौर पर नहीं हुआ था अतः इस वर्ष के व्यय के अंकड़ों से इसे हटा देना चाहिए था । आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं को नुकसान पहुँचाने हुए सामान्य सेवाओं पर व्यय में वृद्धि होने एक दूसरा संभाव्य सूचक है । निम्नलिखित सारणी इन सूचकों में प्रवृत्ति को दर्शाती है :-				लोक लेखा में राशि परियोजना के संबंध में तभी जमा की जाती है, जबकि वित्तीय वर्ष के अंत तक किसी कारणवश उसका व्यय नहीं हो पाता है । ऐसा सामान्यतः मार्च के अंतिम दिनों में ही किया जाता है और लोक लेखा में जमा राशि को अप्रैल, मई माह में राशि निकाल कर अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने के लिए व्यय किया जाता है, ताकि ससमय योजना कार्यान्वित करने हेतु निधि की कमी नहीं हो । ब्याज भुगतान समेकित निधि पर भार है । बाध्यकारी खर्च, यथा स्थापना पर व्यय, पेंशन एवं सेवा निवृत्ति लाभ, जुनाब एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय करने पड़ते हैं । 1999-2000 की अवधि में पंचम वेतन पुनरीक्षण के कारण भी स्थापना एवं पेंशन में व्यय में वृद्धि हुई है । वित्तीय वर्ष 1999-2000 में पूंजीगत	विभागीय उत्तर में समिति असहमति व्यक्त करती है । और अनुरोध करती है कि स्थिति में सुधार हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाय और इससे समिति को अवगत कराया जाय । योजना में राजस्व व्यय की हिस्सेदारी का कम होना विकास की गति का सीमा होना है ।
		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	
		रुपये लाख में					
1	वित्तियता के रूप में व्यय						
	राजस्व व्यय का	10	12	16	15	11	
	पूँजीगत व्यय का	100	100	100	100	100	
2	पूँजीगत व्यय (प्रतिशत)	4	5	5	6	7	
3	सामान्य सेवाओं पर व्यय (प्रतिशत)						
	राजस्व	42	44	43	46	45	
	पूँजीगत	01	01	01	01	01	
4	पूर्ण परियोजनाओं पर व्यय (प्रतिशत)	37	40	53	86	138	

	<p>यह इष्टतम होगा कि राजस्व पत्र में योजना व्यय का अंश वर्ष 1997-98 के 16 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 1999-2000 में 11 प्रतिशत हो गया। अवधि के दौरान कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश सदैव औसतन 6 प्रतिशत के निम्नतम स्तर पर रहा। मुख्यतः अधिक न्याय भूगतान, अधिक पेशान एवं अन्य सेवाविवृति लाभ, चुनाव एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण राजस्व पत्र की ओर सामान्य सेवाओं पर व्यय में वृद्धि रही।</p>	<p>व्यय 7 प्रतिशत रहा है, जबकि 1998-99 में 6 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 45 प्रतिशत का है और 1998-99 में 46 प्रतिशत का था। स्पष्ट है कि 1999-2000 में 1998-99 की तुलना में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। उपरोक्त तथ्य के आलोक में इस कठिना को वित्त विभाग की लंबित कठिनाओं की सूची से विस्तारित करने की कृपा की जा सकती है।</p>	
18 1.9	<p>वित्तीय प्रबंधन सरकार में वित्तीय प्रबंधन का मापता इसके राजस्व एवं व्यय संचालन की दक्षता, पित्तव्ययिता एवं कारगरता से संबंधित होना चाहिए। इस प्रतिवेदन के आने वाले अध्यायों में तमूब लेखा - परीक्षा के जीव के आधार पर खासकर इन मामलों पर विस्तृत व्याख्या की गई है, क्योंकि ये सरकार के व्यय प्रबंधन से संबंधित हैं। लेखों एवं सरकार की संबंधित वित्तीय सूचनाओं से अलग की जा सकने वाले अन्य मापदंडों को इस अनुभाग में विपरिचित किया गया है।</p>	<p>यह एक तथ्य है। वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में प्रतिवेदन की अन्य कठिनाओं में चर्चा होने की सूचना अंकित की गयी है। उपरोक्त तथ्य के आलोक में इस कठिना को वित्त विभाग की लंबित कठिनाओं की सूची से विस्तारित करने की कृपा की जा सकती है।</p>	<p>विभागीय प्रतिवेदन के आलोक में इसे निष्कारित किया जाता है।</p>

1. निवेश एवं इतिहास		31 मार्च 2000 को		निवेशित तारीख	
9.1 विकासत्मक, निर्माण, विपणन एवं सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा पूंजीगत परिव्यय में से निवेश किया जाता है। किए गए निवेशों का क्षेत्र-वार विवरण एवं सम्मिलित संस्थाओं की संख्या निम्नानुसार है:				वर्ष 99-2000 के दौरान (करोड़ रूप में)	
(i) सार्वजनिक	3	99.67			
(ii) सरकारी	36	327.34	0.12		
कम्पनियाँ					
(iii) संयुक्त	10	3.88			
पूँजी कम्पनियाँ					
(iv) सहकारी					
संस्थान	अणु अणु	227.24		2.62	
योग		668.13		2.74	

विगत पाँच वर्षों के दौरान इसके निवेशों से प्राप्त लाभांश तथा भ्याज के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त प्रतिफल तुल्य था।

वर्ष	वर्ष के दौरान निवेश	वर्ष की समाप्ति पर निवेश	प्रतिफल (रूप में)	प्रतिफल का प्रतिशत	सरकारी कर्ज पर भ्याज का दर (प्रतिशत)
(राशि करोड़ रूप में)					
95-96	14.38	620.70	शून्य	शून्य	14.00
96-97	20.52	641.22	रु.2883 मात्र	शून्य	13.85
97-98	0.09	641.31	रु.1000 मात्र	शून्य	13.75
98-99	14.03	646.34	रु.192 मात्र	शून्य	12.50
99-2000	2.74	649.08	1.10 करोड़	0.17	11.30

अतः जबकि सरकार बाजार से उच्च दर पर कर्ज ले रही थी, सरकारी कम्पनियों इत्यादि में इसका निवेश वा वा कोई प्रतिफल नहीं दे रहा था या नगण्य प्रतिफल दे रहा था। 30 सितम्बर 2000 का राज्य में सभी 50 कम्पनियों (19 सहायक कम्पनियों सहित) की लेखा 1 से 23 वर्षों तक से अधिष्ठित थे - 4 सार्वजनिक निगमों में से 3 निगमों के लेखा का उद्दिश्य रूप होने में विफल था।

43 सरकारी कम्पनियों 24 व सार्वजनिक निगमों के नवीयतम निम्नलिखित लेखा की अनुसार 43 कम्पनियों एवं 3 निगमों में क्रमशः 547.60 करोड़ रुपये एवं 4520.78 करोड़ रुपये का भारा हुआ था तथा शेष 2 कम्पनियों 100 व निगमों में क्रमशः 2.33 करोड़ रुपये एवं 4.10 करोड़ रुपये का हानि लाभ अधिष्ठित किया था। तीन कम्पनियों ने अपन आर्थिक भाग से ही अपने लेखा का अधिष्ठित रूप नहीं दिया था। ऐसी कम्पनियों से नवीयत निवेश ने ही इन निगमों को बढ़ावा था।

यह एक तथ्यात्मक विवरण ही है। सार्वजनिक निगम, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों एवं सरकारी संस्थाओं जिन्हें शेष पूँजी में राज्य सरकार ने निवेश किया है, उनके द्वारा राज्य सरकार को लाभांश नहीं देने के कारण यह स्थिति हुई है। जिन कम्पनियों को अल्प के रूप में राशि उपलब्ध करायी गयी है, उनके द्वारा संस्थाओं के वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा दिये गये अल्प राशि पर व्याज का भुगतान कम्पनियों द्वारा नहीं किया जा रहा है और न ही सरकार द्वारा दिये गये निवेश पर कोई लाभांश दिया जा रहा है। कम्पनियों के लेखों को अधिष्ठित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अल्प को राशि उपलब्ध करायी जा रही है। अन्तर्गत 6 कम्पनियों को बंद करने के उद्देश्य से उनके परिसमापन करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया है। उपरोक्त तथ्य के अलावा मैं हम कठिना को वित्त विभाग की संबंधित कठिनाओं की सूची ससे विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।

विभागीय स्तर से सभिधि असहमता होने हुए अनुशासक करती है कि इस प्रकार के निवेश तुलनात्मक रूप इसके लिए अपेक्षित कार्रवाई की आय। इसी के साथ सभिधि इस कठिना को अगे बढ़ना नहीं चाहती है।

<p>20 1. राजस्व के बकाये</p> <p>9.3 31 मार्च 2000 को, जैसा कि विभागों द्वारा प्रतिवेदित किए गए थे, राजस्व के मुख्य शर्तों में से भाठ के अन्तर्गत संग्रहण हेतु स्थित राजस्व का बकाया 2210.61 करोड़ रुपये था जिसमें से 206.08 करोड़ रुपये (21 प्रतिशत) तीन भागों में अधिक से लम्बित थे एवं मुख्यतः बिजली, व्याज इत्यादि 156.12 करोड़ रुपये। अंतर्गत खजाना एवं अनुक्रमेण उपाय 27.54 करोड़ रुपये। पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क 138.12 करोड़ रुपये। सिंचाई कर कर 156.43 करोड़ रुपये तथा राज्य अर्थ (18.21 करोड़ रुपये) से संबंधित थे। उपरोक्त बकाए राजस्व को राजी कम करके बताया गया है क्योंकि सरकार के अन्य विभागों के परिवर्तों द्वारा अनुसारी प्रस्तुत नहीं की गयी थी (दिसम्बर 2000)।</p>		<p>प्रधान महालेखाकार कार्यालय से राजस्व बकाये को सूचना जिन विभागों ने नहीं दी है उनके नाम उल्लेखित नहीं है। प्रापण्यता सभी विभागों द्वारा पंजी गयीं सूचना प्रस्तुत की जाती है। जहाँ तक बकाये राज्य राजी को कम कर बताया जान का किश किया गया है, इसके मध्य में संबंधित विभाग वाणिज्य-कर विभाग, खजाना एवं गृहत्व विभाग, कर संग्रहण विभाग एवं उत्पाद विभाग से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जाता होगा।</p> <p>संबंधित विभागों को स्थिति निर्दिष्ट करने को कृपा करना चाहेंगे। जिन विभाग में संबंधित कंट्रिको नहीं है, इनविना इस कंट्रिको को जिन विभागों को स्थित कंट्रिकोओं की सूची से निर्धारित काम की रूप को वा सकता है।</p>	<p>विभागीय स्फूर्तिकरण को आलोक में समिति इस निर्देश के साथ इसे प्रागे बढ़ाना नहीं चाहती है कि कंट्रिको संबंधित विभाग को लौटानी समय।</p>
<p>21 1. अर्थोपाय परामित्तों एवं ओवरड्राफ्ट</p> <p>9.4 भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक अनुबंध के तहत राज्य सरकार का बैंक से प्रतिदिन न्युनतम 0.70 करोड़ रुपये, जिसे बढ़ाकर 1 जुलाई 1999 से प्रभाव से 2.18 करोड़ रुपये किया गया, संकड़ शेष बनाए रखना था। अगर किसी भी दिन का न्युनतम अनुबंधित शेष नोंधे गिर जाता है तो कमी को बैंक से अर्थोपाय परामित्तों (डिबन्चुएण्डरी/ओवरड्राफ्ट (ओओ डीओ) लेते हुए इसे पूरा करना था साथ ही जब भी आवश्यकता हुई बैंक द्वारा विशेष अर्थोपाय परामित्तों भी दो गयी। अर्थोपाय परामित्तों/ओवरड्राफ्ट के महत्त्व का अर्थ परकर की प्राप्ति पर शय का बेधेव होता है एवं इस प्रकार सरकार का प्रत्येक वित्तीय प्रयत्न को परधित करता था। वर्ष 1999-2000 में हीन सरकार ने 2018.02 करोड़ रुपये का अर्थोपाय परामित्तों (117 दिन) एवं 149.93 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट (12 दिन) लिया तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1999-2000 में हीन अर्थोपाय परामित्तों पर 1.21 करोड़ रुपये तथा अप्रील 2000 में इन पर 6.45 करोड़ रुपये अर्थोपाय परामित्तों 6.42 करोड़ रुपये, ओवरड्राफ्ट 1.03 करोड़ रुपये) के ब्याज को प्रस्तुत की।</p>		<p>यह एक संयन्त्रक विवरण है। अर्थोपाय अर्थोपाय ओवर ड्राफ्ट को व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा अनुसारी है। विगत वर्ष 1999-00 में कन्द्रीय वित्तमन्त्र एवं योजना को राज्य सरकार के परामित्तों एवं कर्मियों को प्रस्तुत करने के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति को अर्थोपाय में ही यह गणि की गयी थी। विगत वर्ष 2002-03 में एक दिन भी ओवर ड्राफ्ट नहीं किया गया था और यिक एक दिन से राज्य अर्थोपाय प्रसिध के को उपरोक्त राज्य के अन्तर्गत से इस कंट्रिको को राज्य विभाग को निर्दिष्ट कंट्रिको को प्रस्तुत करने को कर को वा सकता है।</p>	<p>विभागीय स्तर में अनुसारी होते हुए समिति अब इस विषय को प्रागे नहीं बढ़ाना चाहती है और अनुसारी करती है कि इस प्रकार की वित्तीय स्थिति से कर्मियों के वित्तीय स्थिति परामित्तों गौवना बताने साथ तथा इसमें संघर्ष को भी अवगत कराना साथ।</p>

27	<p>घाटा</p> <p>भारकाने लेखा में घाटा दर्शाता है कि प्राप्तियों एवं व्यय के बीच अन्तर है। घाट की प्रकृति सरकार में वित्तीय प्रबन्धन की दूरदर्शिता का एक महत्वपूर्ण सूचक है। भाव ही, घाटा को वित्तीय समर्थन प्रदान करने का तरीका एवं इस तरह से बढ़ाए गए निधियों का उपयोग सरकार के अन्य कार्यालय दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण सूचक है। इस खण्ड में घाटा के तीन अन्वयार्थों अर्थात् राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं मूल घाटा से संबंधित चर्चा है।</p>	<p>यह एक तथ्यात्मक विवरणी है। इस संदर्भ में मतलब अपेक्षित नहीं है। उपरोक्त तथ्य के आलोक में इस कॉडिका को वित्त विभाग की लेखित कॉडिकाओं की सूची में विलयित करने की कृपा की जा सकती है।</p>	<p>समिति विभागीय उत्तर से सड़मदि बताते हुए इसे विभाजित करती है।</p>
----	---	---	---

<p>23</p>	<p>1.9 5.2</p>	<p>राजस्व प्राप्तियों से अधिक राजस्व व्यय होना राजस्व घाटा है। राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त सहायता अनुदान सहित) से अधिक राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (दिये गये निवल ऋण सहित) को राजकोषीय घाटा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजकोषीय घाटा घटाए गए धनसहाय मूल घाटा है। निम्नलिखित प्रदर्शन सरकारी लेखा में घाटा के विभिन्न क्रमों को बताती है।</p> <table border="1" data-bbox="164 358 812 1097"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">राज्य विधि (करोड़ में)</th> </tr> <tr> <th>वर्ष</th> <th>राशि (करोड़ में)</th> <th>वर्ष</th> <th>राशि (करोड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>राजस्व</td> <td>10659</td> <td>राजस्व घाटा</td> <td>3703</td> </tr> <tr> <td>वित्तिय पूंजीगत</td> <td></td> <td>राजस्व</td> <td>10362</td> </tr> <tr> <td>राजकोषीय</td> <td>रून</td> <td>पूँजीगत</td> <td>1235</td> </tr> <tr> <td>ऋण एवं परामित्तों की वसूली</td> <td>12</td> <td>ऋण एवं परामित्तों का संवर्धन</td> <td>1872</td> </tr> <tr> <td>उप योग</td> <td>10871</td> <td>सकल राजकोषीय घाटा 5996</td> <td>उप योग</td> <td>16667</td> </tr> <tr> <td>लोक ऋण</td> <td>3673</td> <td>लोक ऋण सहायता</td> <td>799</td> </tr> <tr> <td>योग</td> <td>14144</td> <td>अन्तर्गत विधि में घाटा-3322</td> <td>17466</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="164 761 812 1052"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">ब. आन्तरिक विधि लोक सेवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सम्पन्न</td> <td></td> <td>सम्पन्न</td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्रतिभारकारी</td> <td>1500</td> <td>सम्पन्न भारीक सहायता</td> <td>609</td> </tr> <tr> <td>वचन एवं वित्तिय</td> <td>1538</td> <td>वचन एवं वित्तिय</td> <td>1776</td> </tr> <tr> <td>आन्तरिक विधि</td> <td>17</td> <td>आन्तरिक विधि</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>उपयोग एवं वित्तिय</td> <td>142</td> <td>उपयोग एवं वित्तिय</td> <td>रून</td> </tr> <tr> <td>शेष</td> <td>1755</td> <td>शेष</td> <td>1785</td> </tr> <tr> <td>लोक सेवा योग</td> <td>5052</td> <td>ब. लोक सेवा द्वारा वित्त सहायता के लिए में घाटा 1259</td> <td>5773</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">सकल राज्य में ऋण (प.घ.व.) : 2061</p>	राज्य विधि (करोड़ में)				वर्ष	राशि (करोड़ में)	वर्ष	राशि (करोड़ में)	राजस्व	10659	राजस्व घाटा	3703	वित्तिय पूंजीगत		राजस्व	10362	राजकोषीय	रून	पूँजीगत	1235	ऋण एवं परामित्तों की वसूली	12	ऋण एवं परामित्तों का संवर्धन	1872	उप योग	10871	सकल राजकोषीय घाटा 5996	उप योग	16667	लोक ऋण	3673	लोक ऋण सहायता	799	योग	14144	अन्तर्गत विधि में घाटा-3322	17466	ब. आन्तरिक विधि लोक सेवा				सम्पन्न		सम्पन्न		प्रतिभारकारी	1500	सम्पन्न भारीक सहायता	609	वचन एवं वित्तिय	1538	वचन एवं वित्तिय	1776	आन्तरिक विधि	17	आन्तरिक विधि	0	उपयोग एवं वित्तिय	142	उपयोग एवं वित्तिय	रून	शेष	1755	शेष	1785	लोक सेवा योग	5052	ब. लोक सेवा द्वारा वित्त सहायता के लिए में घाटा 1259	5773	<p>यह एक तथ्यात्मक विवरणी है। 80 के दशक के मध्य से सभी राज्य राजस्व घाटे में चले गये थे। लोक कल्याणकारी एवं विकासवाक्य परिषदों पर अत्याधिक व्यय करने के कारण राजस्व घाटे की स्थिति बनी है। वित्तीय वर्ष 99-00 से 2001-02 के बीच राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा की स्थिति में सुधार संभावित है। राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में अपेक्षित सुधार हो रहा है। उपरोक्त तथ्य के अलावा ये इस कठिनाई को वित्त विभाग की लक्षित कठिनाईयों की सूची में विलोपित करने की क्षमता की जा सकती है।</p>	<p>विभागीय स्तर से समिति असाहमति जवाबे हुए अनुरांसा करवी है कि राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लोक ऋण, लोक लेखे के आधिक्य एवं लोकदुर्गों का उपयोग वित्तीय संकट का घोटक है। इससे बचने हेतु दीर्घ कालिक नीति की आवश्यकता है।</p>
राज्य विधि (करोड़ में)																																																																									
वर्ष	राशि (करोड़ में)	वर्ष	राशि (करोड़ में)																																																																						
राजस्व	10659	राजस्व घाटा	3703																																																																						
वित्तिय पूंजीगत		राजस्व	10362																																																																						
राजकोषीय	रून	पूँजीगत	1235																																																																						
ऋण एवं परामित्तों की वसूली	12	ऋण एवं परामित्तों का संवर्धन	1872																																																																						
उप योग	10871	सकल राजकोषीय घाटा 5996	उप योग	16667																																																																					
लोक ऋण	3673	लोक ऋण सहायता	799																																																																						
योग	14144	अन्तर्गत विधि में घाटा-3322	17466																																																																						
ब. आन्तरिक विधि लोक सेवा																																																																									
सम्पन्न		सम्पन्न																																																																							
प्रतिभारकारी	1500	सम्पन्न भारीक सहायता	609																																																																						
वचन एवं वित्तिय	1538	वचन एवं वित्तिय	1776																																																																						
आन्तरिक विधि	17	आन्तरिक विधि	0																																																																						
उपयोग एवं वित्तिय	142	उपयोग एवं वित्तिय	रून																																																																						
शेष	1755	शेष	1785																																																																						
लोक सेवा योग	5052	ब. लोक सेवा द्वारा वित्त सहायता के लिए में घाटा 1259	5773																																																																						
		<p>तालिका दर्शाता है कि 3703 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा को कर्ज के द्वारा पूरा किया गया था। 5996 करोड़ का राजकोषीय घाटा की भरपाई लोक ऋण (2674 करोड़ रुपये) के निवल प्राप्ति के द्वारा तथा अंशतः लोक लेखे के आधिक्य (1259 करोड़ रुपये) एवं लोकदुर्ग शेष (2061 करोड़ रुपये) से निकासी के द्वारा की गई। वित्तिय बीच वर्षों में होने घाटे में तीव्रता से वृद्धि हुई थी एवं वर्ष के दौरान राजस्व घाटा में 63 प्रतिशत तथा राजकोषीय घाटा में 64 प्रतिशत की उच्च वृद्धि हुई जो इंगित करता था कि सरकार की वित्तीय स्थिति संकटग्रस्त हो गयी है।</p>																																																																							

24 19

कर्म ली गयी निधियों का उपयोग (राजकोषीय घाटा)
 राजकोषीय घाटा सरकार के कुल निवल कर्ज को संशुद्ध करती है। इन कर्जों का उपयोग राजकोषीय घाटा (आग0ड00) को पूरा करने, पूंजीगत व्यय (सी0ड00) करने तथा विकासत्मक एवं अन्य प्रयोजनों के लिए विभिन्न निकायों को ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन उपकरणों का संबंधित समानुपात राज्य सरकार की वित्तीय दृढ़ता एवं उनके कार्यों की संचालन को सुदृढ़ता को भी इंगित करेगा क्योंकि राजस्व व्यय के लिए कर्ज लेना जारी रहना बार में चलकर कामप नहीं रह पाएगा। निम्नलिखित तालिका बिहार सरकार से संबंधित विगत पांच वर्षों की स्थिति को दर्शाता है:

अनुपात

	95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000
(राजस्व घाटा/					
राज कोषीय घाटा	0.63	0.46	0.47	0.62	0.62
पूनी गत व्यय/					
राज कोषीय घाटा	0.29	0.37	0.25	0.27	0.20
निवल ऋण/					
राज कोषीय घाटा	0.08	0.17	0.28	0.36	0.18
योग	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

यह इष्टव्य होगा कि 2 वर्षों को छोड़कर विगत 5 वर्षों के दौरान कर्ज ली गयी निधियों का 60 प्रतिशत से अधिक भाग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किए गये थे। चूंकि राजस्व व्यय अत्यधिक बढ़ा था अतः पूंजी निर्माण पर बुरा असर पड़ा।

यदि राज्य सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से कम होता है तो राजस्व भर में जो बचत होगी उसका उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया जाता है। यदि राजस्व घाटा होता है तो पूंजीगत व्यय के लिए प्रायः राशि का इस्तेमाल राजस्व व्यय में स्वतः हो जाता है। वित्तीय वर्ष 99-2000 की तुलना में 2001-02 में राजकोषीय घाटे में कमी आयी है। उपरोक्त के आलोक में इस कठिनाई को वित्त विभाग की लंबित कठिनाईओं की सूची से विलोपित करने की कोश की जा सकती है।

विभागीय उत्तर के आलोक में समर्पित दीर्घकालिक नीति की अनुसरण के साथ इस कठिनाई को जागे बंदाना नहीं चाहती है।

25

1. रोकट शोध में कमी :-
9.6 राज्य का रोकट शोध राज्य के समोक्त निधि, आकास्मिक निधि एवं लोक लेखे के समिथित शोध के संदर्भ में है जबकि रोकट शोध निवेश लेखा (सी बी आई ए) राज्य के रोकट शोध में से भारत सरकार की प्रतिभूतियों अन्य राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों एवं अपनी प्रतिभूतियों से निवेश में संबंधित है । 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले पैंस वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्षों में 31 मार्च को सी बी आई ए में शोध निधि प्रकार से है :

वर्ष	31 मार्च को शोध (करोड़ रुपये में)
1995-96	887.36
1996-97	1497.72
1997-98	1881.41
1998-99	2387.65
1999-2000	61.78

(क) 1995-2000 के दौरान सी बी आई ए में अचानक वृद्धि एवं कमी

वर्ष 1994-99 के दौरान राज्य सरकार ने योजना व्यव के लिए बाजार ऋण का महारा लिया जिसका उल्लेख भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1998 एवं 31 मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्षों के अंतर्गत प्रतिवेदन की कॉडिका 1.9.3 एवं 1.10.4 में किया गया है । यह थाय गया कि राज्य इच्छित योजना व्यव के लिए बाजार ऋण का उपयोग करने में विफल रहा एवं 12.5 से 14 प्रतिशत ब्याज वाले ये निर्भवी (रोकट शोध में से) 3.5 से 5 प्रतिशत नगण्य प्रतिफल वाले कोषागार विपत्रों के रूप में वर्षों तक निवेशित रहे । राज्य सरकार ने 31 मार्च 1999 तक सी बी आई ए में 2388 करोड़ रुपये कम प्रतिफल वाले कोषागार विपत्रों रखे रहे जबकि दूसरी तरफ बाजार ऋण पर वर्ष 1998-99 तक राज्य सरकार पर 91.75 करोड़ रुपये का ब्याज दरिगत का सुजन हुआ एवं इसे कम प्रतिफल वाले कोषागार विपत्रों में निवेश पर नगण्य मात्रा में ब्याज की प्राप्ति हुई । वर्ष 1999-2000 के दौरान कम प्रतिफल वाले कोषागार विपत्रों में निवेशित 2306 करोड़ रुपये में से ज्यादातर खर्च सरकार के राजस्व व्यव के रूप में की गई जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 2799 करोड़ रुपये (24 प्रतिशत) की वृहत वृद्धि हुई । राज्य सरकार का गजराय घाटा ये वर्ष 1998-98 की तुलना में 1436 करोड़ रुपये (63 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । वर्ष 1998-99 (13475.80 करोड़ रुपये) की तुलना में वर्ष 1999-2000 (20542.99 करोड़ रुपये) के दौरान राज्य में समोक्त निधि का वृद्धिमान में 7066.99 करोड़ की वृद्धि हुई एवं 6830.46 करोड़ रुपये का वृद्धिमान के निम्न कारण से :

(करोड़ रुपये में)

	1998-99	1999-2000	वृद्धि
1. आंतरिक ऋण (अर्थात् अग्रिम सविनः व निर. सुवधन + ब्याज के एवम में पुनर्भुगतान)	596	4025	3429
2. वन्तरी ऋण एवं अग्रिम क. एगज में सुवधन + ब्याज का पुनर्भुगतान	1788	2180	392

यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । वार्षिक योजना का आकार योजना आयोग एवं मुख्य मंत्री के विमर्शोपरांत निर्धारित किया जाता है । उक्त वार्षिक योजना में कितनी राशि राज्य सरकार को बाजार ऋण से प्राप्त होगा, इसका भी जिक्र होता है जिसकी उगाही रिजर्व बैंक द्वारा दो-तीन किस्मों से किया जाता है । उमपर उस समय प्रचलित सुद की दर पर ऋण उगाही होती है । कोषागार विपत्रों के रूप में जहाँ तक राशि निवेश का प्रश्न है, हम संदर्भ में व्यवस्था यह है कि आर० बी० आई० नागपुर के द्वारा 14 दिनों के कोषागार विपत्रों पर राशि का निवेश राज्य सरकार को राशि उपलब्धता के आकार पर किया जाता है, उम्क। कोई सीधा संबंध बाजार ऋण से नहीं है । यह राज्य सरकार के दिन-प्रतिदिन अर्थात्पय की स्थिति से संबंधित है न कि दीर्घकालिन निवेश में । राशि उपलब्धता के आधार पर ही आर० बी० आई० निवेशित करता है इसलिए निवेशित राशि में वृद्धि एवं कमी को बाजार ऋण के परिप्रेक्ष्य में देखना जाना युक्ति संगत नहीं है ।

स्थिति इस प्रकार के रूप का वित्तीय कुप्रबंध मानती है और इसमें माधिम्य में बचाने की अनुशांता के साथ इस कॉडिकाको निष्पादित करती है ।

3.	बिहार सरकार द्वारा प्रयोधुहित बोर्ड, वितीय संस्थाओं का पुनर्गठन, केन्द्रीय सरकार द्वारा सी.बी.ए. के अन्तर्गत पुनर्गठन के लिए कर्तव्य एवं संसाधन विधि अनुदान सहित सी एस 1 वी एवं नए विद्युत् परामित्य का अनुदान	32-85	985-96	453.11		
4.	बहुत बतन एवं भवे एवं कोष इत्यादि का पुनर्गठन (गैर योजना)	6106.13	7540.99	1434.86		
5.	पेसन एवं सेवानिवृत्त लाभों के अन्तर्गत पुनर्गठन	1024.16	1240.66	216.50		
6.	वित्तिय संस्थाओं एवं अन्य वित्तिय संस्थाओं जैसे अन्तर्देशिक विकासण इत्यादि का अनुदान	417.34	518.65	101.31		
7.	एच एस ए/एन एस सी विधि	45.88	180.93	145.05		
8.	एच एचएस वृत्तीय न्यून	818	1233	415		
9.	पुनर्गठन (वित्तिय संस्था एवं अन्य)	4.01 1.52 5.53	66.82 74.13 160.95	155.42		
10.	नगर एवं नगर पालिकाओं की सहायता	27.21	115.44	88.23		
		1136.16	18191.58	6836.48		
<p>(ख) अधिकारित: अप्रैल-दिसम्बर 1999 के दौरान रोड रोच में कमी</p> <p>वर्ष 1999-2000 के दौरान सी वी आर ए में संकुल कमी 2306 करोड़ रुपये में से 82 प्रतिशत कमी (1898 करोड़ रुपये) अप्रैल-दिसम्बर 1999 के दौरान एवं रोच 408 करोड़ रुपये (18 प्रतिशत) की कमी जनवरी-मार्च 2000 के दौरान हुई। संसाधन संकील से पता चला कि वर्ष 1998-99 (जून एवं दिसम्बर 1998 के बीच) के दौरान चणित 42 कोषागार मह की तुलना में वर्ष 1999 के दौरान इन्ही पहनों में व्यय में 1398 करोड़ रुपये (संदर्भ : परिशिष्ट-III A) की वृद्धि हुई। इस प्रकार 31 मार्च 1999 को सी.बी.आई.ए. रोच 2388 करोड़ रुपये था जो 31 मार्च 2000 को वही से घटते हुए 82 करोड़ रुपये हो गए।</p>		<p>केन्द्रीय वेतनमान/पेशन का लाभ परिवारिक पेशन एवं कर्मियों एवं पेशानर्स को 01.04.99 के प्रभाव से दिव न्यून वा बिसको निकासी अप्रैल से दिसम्बर के बीच होने के कारण वर्ष 98-99 की तुलना में अधिकार्ड व्यय हुआ है। वर्ष 2000 में आर० सी० आर० नागपुर में राशि विधि में कमी होने के कारण रोड अथशेष विवेश खाता में राशि उपलब्धता कम थी।</p>		<p>समिति इस अनुरासा के साथ कि रोड रोच की घट-वृद्ध पर विवर्जन रखा जाव, इस कर्दिका को विचारित करती है।</p>		

(ग) वित्त विभागों में वृद्धि व्यवस्था का विस्तार

शिक्षा (प्राथमिक, सेकेंड्री एवं वयस्क शिक्षा) एवं ग्रामीण विकास विभागों में कुछ शीर्षों के तहत (2202 सामान्य शिक्षा- 2505 ग्रामीण योजनाएं- 4515 ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत व्यय) वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान अधिक/अव्ययनित व्यय हुआ। वर्ष 1999-2000 के दौरान इन शीर्षों के अधिन व्यय निम्न प्रकार से थे :

वृद्धि शीर्ष (में)	1998-99 (व्यय-करोड़ रुपये में)	1999-2000 (व्यय-करोड़ रुपये में)	वृद्धि (करोड़ रुपये में)
2202 सामान्य शिक्षा	2533	3859	1326
2505 ग्रामीण योजनाएं	597	731	134
4515 पूंजीगत व्यय अन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों या पूंजीगत व्यय	113	271	158
कुल	3243	4861	1618

जुलाई 2001 एवं नवम्बर 2001 के बीच नमूना जीव के लिए 14 जिला कार्यालयों का बंद किया गया। इन जिलों के तत्स्थित कार्यालयों के व्यय के नमूना जीव के दौरान विभिन्न कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा निधि का बड़े पैमाने में दुरुपयोग एवं दुर्धनियोजन, कार्यों का संदेहास्पद कार्यन्वयन, संदेहास्पद खरीद गलत भुगतान इत्यादि जैसे गंभीर अनियमितताएँ प्रकट हो आईं, जिसके कारण इस व्यय के वास्तविकता पर संदेह उत्पन्न हुए (कॉडिका 3.25 के तथ्यों के अन्तर्गत)। तत्काल आवश्यकता के बिना ही कोषागारों से निधि की निकासी कर ली गई। इसके फलस्वरूप नमूना जीवित कार्यालयों के रोकड शेष में भारी वृद्धि हुई निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा बड़े रोकड शेष को रखने से निधियों के दुरुपयोग की संभावना रहती थी। अनियमितताओं की गंभीरता पर सरकार (विभागीय प्रमुखों एवं वित्त विभाग) को गौरव ध्यान देने एवं वर्ष 1999-2000 के दौरान अधिकारतः राजस्व व्यय को कटौत करने के लिए कोषागारों से भारी निकासी, जिसके कारण वर्ष 1999-2000 के दौरान सी की आई ए ने 2306 करोड़ रुपये की कमी हुई, की जीव करने की आवश्यकता है। निकासी की गई राशि के विकल्प विभिन्न विभागों द्वारा किए खर्च की जीव भी सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

संबंधित विभागों द्वारा उत्तर दिया जाना अपेक्षित है, न कि वित्त विभाग से। इस संदर्भ में संबंधित विभागों को सविधि निर्देशित करना चाहिए।

उपरोक्त के अलावा में इस कॉडिका को वित्त विभाग की संबन्धित कॉडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।

विभागीय उत्तर अग्रत

संबन्धित राजस्व व्यय बहन हेतु 1999-2000 में कोषागारों से भारी निकासी एवं निकासी के विकल्प व्यय के जीव की अनुमति करती है।

76
97

राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारन्टिड :-

सांविधिक निगमों, गम्कारी कम्पनियों एवं सहकारीता संस्थाओं इत्यादि द्वारा बकाए, गए खास दायित्वों, जैसे ऋणों की अदायगी, अंश पूंजी इत्यादि तथा उनके द्वारा न्यून एवं लाभांश का भुगतान के निर्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा गारन्टिड दी जाती है। ये राज्य के आकरिमक दायित्व बन जाते हैं। ऐसी अधिकतम सीमा, जिसके भीतर राज्य के संचित निधि की प्रत्याभूति पर सरकार द्वारा गारन्टी दिया जा सके, के लिए संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्य विधान मंडल द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया था। ऋण भुगतान, इन पर ऋण का भुगतान एवं बकाया राशि के लिए सरकार द्वारा दी गयी गारन्टिडों से संबंधित वर्ष 1995-96 से 1999-2000 को समाप्त तक की स्थिति निम्नवत थी:

वर्ष	क दी गयी गारंटी की राशि (कुल मूलधन)	बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
		(करोड़ रुपये में)	
1995-96	1777.27	1183.79	राकार द्वारा पूर्णतः नहीं किया गया
1996-97	1549.61	549.89	नहीं
1997-98	243.78	198.34	नहीं
1998-99	190.17	962.29	नहीं
1999-2000	171.92	852.25	नहीं

यह एकतय्यात्मक विवरणों हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी को राशि की अधिसीमा राज्य विधान मंडल द्वारा कानून पारित कर निर्धारित नहीं की है। सरकार को यह नीति है कि गारंटी वर्तमान में सामान्यतः नहीं दी जायेगी। वैसे ही संस्थाओं/परियोजनाओं जिनपर राज्य सरकार की ऋण की गारंटी देने की बाध्यता का परियोजना के उपयोगिता/उससे प्राप्त होने वाले लाभ को देखते हुए, विशेष परिस्थिति में गारंटी दी जायेगी। गारड/एन.सी.टी.सी. में ऋण प्राप्त करने में राज्य सरकार का गारंटी देने की बाध्यता है, जिसमें सशोधन करने हेतु केंद्र सरकार से अनुसंध किया गया। कालांतर में गारंटी राशि में और कमी आयेगी।

उपरोक्त के आलोक में इस कठिना को वित्त विभाग को लंबित सूची से विलोपित कि जा सकती है।

विभागीयस्तरीय के श्रेणिक में संचित इस कठिना को निष्पादित करने हुए मन्त्रिमंडल में इस प्रकार की परिस्थितियों से बचाने हेतु समुचित कार्रवाई कर समिति को सूचित करने की अनुरोध करते हैं।

ये गारन्टियाँ 4 सांविधिक निगमों/बोर्डों, 11 सरकारी कम्पनियों, 3 संयुक्त पूंजी कम्पनियों, 5 स्वायत्तरात्मो निकायों, 2 सहकारित बैंको एवं अनेक महकमिता समितियों की ओर से दी गयी थी। ऋणियों द्वारा मूलधन एवं व्याज के पुनर्भुगतान में देरी होने की स्थिति में ब्याज सहित ऋण के पुनर्भुगतान का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को ब्यंभे आती थी।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका 1.10.4 (अ) में यह उल्लेखित था कि गारन्टियों के निर्वहन में वर्ष 1990-98 के दौरान सरकार द्वारा 718.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। वर्ष 1998-98 के दौरान गारन्टियाँ निष्पादित करने के उपर किए गये भुगतान की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। वर्ष 1999-2000 के दौरान सरकार ने कुल 221.66 करोड़ रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (मूलधन : 153.73 करोड़ रुपये एवं ब्याज : 62.22 करोड़ रुपये), बिहार राज्य पत्र परिवहन निगम (मूलधन : 3.91 करोड़ रुपये ब्याज : 0.70 करोड़ रुपये) तथा बिहार राज्य आवास बोर्ड (ब्याज : 1.10 करोड़ रुपये) द्वारा 1 जनवरी 1997 से 31 मार्च 1998 की अवधि के लिए जारी किए गए बाण्डों पर मूलधन के पुनर्भुगतान की गारन्टी एवं बकाये ब्याज भुगतान की जिम्मेवारी निभाने के लिए भुगतान किया गया था। इन भुगतानों को सम्बन्धित संस्थाओं को ऋण के रूप में माने गए थे। सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान जारी की गयीं निम्नाने पर लगी गयीं अत्याधिक मुकदमान (838.83 करोड़ रुपये) को देखते हुए आगे चलने वाले वर्षों में भी लंबित गारन्टी के पुनर्भुगतान के लिए सहायी अधिगत राशि लगी दायित्व लगी संस्थाओं से इंतकभर नहीं किया जा सकता है।

27 10 1	<p>1. भारत का संविधान व्यवस्था करता है कि अगर राज्य के विधानमंडल के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए तो उस निर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत राज्य की संवित विधि के प्रत्याभूति पर भारत के पत्र के अन्तर्गत तक राज्य उत्तर ले सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा एसी कोई सीमा निर्धारित हेतु कानून पारित नहीं की गयी थी। विगत चैच वर्षों की सम्प्रति पर राज्य सरकार के कुल दायित्वों का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है। चौच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य सरकार का कुल दायित्व 85 प्रतिशत बढ़ा था। यह आंतरिक ऋण के रूप में 59 प्रतिशत, भारत सरकार से ऋण कर्जाओं के रूप में 81 प्रतिशत तथा अन्य दायित्वों में 44 प्रतिशत बढ़ा था। वर्ष 1999-2000 के दौरान सरकार ने 11.3 प्रतिशत वार्षिक मध्य दर पर खूले बाजार से 400 करोड़ उधार लिया था।</p>	<p>यह एक तथ्यात्मक विवरण है। लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के रूप में दिखायी गयी राशि प्रोत्साहित है, जिसमें प्रत्येक वर्ष ली गयी राशि का पूर्व वर्ष के बकाये राशि में जोड़कर दिखाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना का निर्धारण योजना आयोग एवं राज्य सरकार से विचार के उपरांत किया जाता है, जिसमें राज्य की केंद्रीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्राप्ति होगी, राज्य अपने संसदघने से कितना राशि प्राप्त कर सकेगा, इसका भीतर रहता है। बाजार ऋण के लिए निर्धारित राशि की अधिसीमा योजना आयोग द्वारा तय की जाती है, जिसकी उपरही भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से विभिन्न चरणों में की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के आलोक में भारत सरकार से अनुमति ली जाती है। केंद्रीय सहायता के रूप में जो राशि प्राप्त होती है, उसमें 70 प्रतिशत की राशि ऋण के रूप में होती है और राज्य के अंदर लघु बचत से निवृत्त(नेट) राशि को प्राप्त होती है, इसका भी 75 प्रतिशत ऋण के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाता है।</p>	<p>विधानीय उत्तर के आलोक में संविधि वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की अनुरासा के साथ इस कठिना को निवारित करती है।</p>																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>आंतरिक ऋण</th> <th>भारत सरकार ऋण एवं देयताएँ</th> <th>कुल लोक ऋण</th> <th>अन्य दायित्व</th> <th>कुल दायित्व</th> <th>केंद्रीय सहायता 0% से ऋण का अनुपात</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995-96</td> <td>3508</td> <td>8772</td> <td>12281</td> <td>8312</td> <td>18593</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>1996-97</td> <td>4016</td> <td>9740</td> <td>13756</td> <td>6876</td> <td>20632</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>1997-98</td> <td>4876</td> <td>11061</td> <td>15737</td> <td>7525</td> <td>23262</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>1998-99</td> <td>5395</td> <td>13375</td> <td>18770</td> <td>8056</td> <td>26826</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>1999-00</td> <td>5582</td> <td>15862</td> <td>21444</td> <td>9169</td> <td>30613</td> <td>42</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	आंतरिक ऋण	भारत सरकार ऋण एवं देयताएँ	कुल लोक ऋण	अन्य दायित्व	कुल दायित्व	केंद्रीय सहायता 0% से ऋण का अनुपात	1995-96	3508	8772	12281	8312	18593	32	1996-97	4016	9740	13756	6876	20632	32	1997-98	4876	11061	15737	7525	23262	33	1998-99	5395	13375	18770	8056	26826	40	1999-00	5582	15862	21444	9169	30613	42		
वर्ष	आंतरिक ऋण	भारत सरकार ऋण एवं देयताएँ	कुल लोक ऋण	अन्य दायित्व	कुल दायित्व	केंद्रीय सहायता 0% से ऋण का अनुपात																																							
1995-96	3508	8772	12281	8312	18593	32																																							
1996-97	4016	9740	13756	6876	20632	32																																							
1997-98	4876	11061	15737	7525	23262	33																																							
1998-99	5395	13375	18770	8056	26826	40																																							
1999-00	5582	15862	21444	9169	30613	42																																							

यह इच्छा होगी कि पुनर्जायगी की बाधता को पूरा करने के बाद भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं पेशगियों का मात्र 28 प्रतिशत पूंजीगत खर्च के लिए उपलब्ध थे। मुख्यतः बाजार कर्ज सन्निहित आंतरिक ऋण के पुनर्जायगी के दायित्व से पूर्णतः प्रस्त होने हुए इसे मित्सकुल नकारा गया था। यह समझते हुए कि बकाया ऋण वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है तथा ऋणों के पुनर्भूगतान की बाधता बढ़ रही है, लोक कर्जों के माध्यम से निधि की निवल उपलब्धता आगे घटती जा रही है।

वर्ष 2002-03 में 597 करोड़ रुपये की केंद्रीय ऋण, राशः पूर्व वर्षों के अधिक म्यात्र दरों पर प्राप्त ऋणों की राशि को वापस किया गया है, जिससे प्रत्येक वर्ष लगभग 30 करोड़ रुपये की बचत म्यात्र पर से होगी।

उपरोक्त के आलोक में इस कठिका को वित्त विभाग की लंबित कठिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।

29
1.
10.
3

केंद्र सरकार से ऋण एवं पेशगियों विगत तीन वर्षों के लिये भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं पेशगियों की स्थिति निम्नानुसार थी :

यह एक सव्यात्मक विवरण है। केंद्र सरकार से प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी राशि ऋण के रूप में प्राप्त हुई, कितनी राशि पूंजीगत एवं म्यात्र के रूप में भूगतान की गयी को दर्शाया गया है। केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली राशि वार्षिक योजना के निर्धारण में केंद्रीय सहायता के रूप में 70 प्रतिशत ऋण के रूप में ही प्राप्त होती है और राज्य के अंदर लघु बचतों में निवेशित राशि के निवल राशि राज्य सरकार को ऋण के रूप में 75 प्रतिशत प्राप्त हो जाती है, जिससे प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार के ऋण पेशगियों में वृद्धि होना स्वभाविक है। एक अप्रैल, 2000 के प्रभाव से लघु बचतों की राशि को राज्य सरकार के आंतरिक ऋण की श्रेणी में माना गया है। वर्ष 2002-03 के लघु बचतों पर 100 प्रतिशत राशि का ऋण के रूप में प्राप्त होगा, जबकि पूर्व में 75 प्रतिशत ही प्राप्त होता था।

उपरोक्त के आलोक में इस कठिका को वित्त विभाग की लंबित कठिकाओं की सूची में विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।

दीर्घकालिक नीति निर्धारण एवं उस पर व्यय की अनुशांसा के साथ समिति इस कठिका को निष्पादित करती है।

वर्ष	वर्ष के दौरान वृद्धि	ऋण-म्यात्र की पुनर्जायगी			निवल म्यात्र	साम 5 का मध्य 2 में प्रतिशतता
		सुलभ	म्यात्र	कम		
		3	4	5	6	7
1995-96	1154.19	339.12	830.80	1169.92	115.73	101
1996-97	1340.94	373.54	946.38	1319.92	21.02	98
1997-98	1791.80	470.04	1092.07	1562.11	229.89	87
1998-99	2808.93	498.51	1292.27	1791.78	1017.15	64
1999-2000	3045.97	558.85	1621.84	2180.49	865.48	72

1. वित्तीय क्रियाकलाप के सूचक
 सरकार या गैर सरकारी संस्थान वर्तमान गतिविधि का कारण रखने या
 आगे की गतिविधि में ह्रास की चेतावनी दे पाएंगे।
 कारण ह्रास का कारण रखने के लिए यह जानना आवश्यक है कि
 वित्तीय स्रोत किस तरह निकल रहे हैं। इसी प्रकार सरकार और अपने
 गंतव्यों में स्वीकृत राशियाँ देना और अपने उद्देश्यों के साथ
 को चलाना उसे अंतर्गत; वित्तिय क दीर्घ मालाओं को खड़े हुए राजस्व
 का संश्लेषण आवश्यक रूप से करना चाहिए। सभी राज्य सरकारों
 अपने गतिविधियों के ह्रास से बूढ़ि मुक्त; पंचवर्षीय योजनाओं के साथ
 में जारी रखती है गैर शान्ति विकास योजनाओं को रूप लेती है।
 राज्य ह्रास में शक्ति को जालों है। विशेष रूप से यह कार्य
 मकानों है। गैर योजना रख्य सरकार के गतिविधियों में ह्रास
 के कारण रखने का शक्ति है, जबकि राजस्व रख्य गतिविधियों के
 विस्तार को सुनिश्चित करती है। सरकार को खड़ी हुए धराणा को
 खर्च में रूप लेने गतिविधियों से समाप्त करने प्रयत्न है
 सहाय में सरकार को 'कॉन्ट्रोल' के मुद्दों पर धराणा गठन रखती है
 तथा में वर्तमान क्रिया आ सकता है; य नाम विस्तारण: परिभाषित
 'कॉन्ट्रोल' है।

(1) मुद्रण
 मुद्रण एक ऐसा स्तर है जिस पर सरकार वर्तमान कार्यक्रमों
 के कारण रख सकती है एवं मुद्रण ह्रास का बढ़ावा और संश्लेषण
 करवाता के आवश्यकताओं का पूरा करता है।

(11) व्यापक
 व्यापक एक रूप स्तर है जिस पर सरकार को गरीब वर्गों
 को शक्ति देने के ल. अपर स्तर पर स्थिति बना सकते हैं।
 वृद्धि जाते हुए अपने वित्तीय समाप्त को बढ़ा सकती है।

(111) भेदबहा
 भेदबहा एक ऐसा स्तर है जिस पर सरकार वर्तमान ह्रास को
 है। एवं इस प्रकार वित्तिय प्रदान करने के लिए राज्य सरकार
 अपने स्रोतों, या इसके विस्तार या प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं, के
 लिए प्रयत्न हो जाता है।

(1111) वारसविहा
 सरकार द्वारा प्रदान वित्तीय सुनने से एक विषय है; यह
 वित्तीय वित्तिय वित्तिय (बजट) तथा लेख से स्थिति होती है। बजट
 के संबंध में, बजटीय प्रक्रिया वर्तमान में सार्वजनिक वित्तियकरण
 तथा सरकारों को शुद्धता प्रदान करता है। यह एक लेख का संबंध
 है, उदाहरण में सामर्थिकता, जिसके प्रदान की गई है तथा लक्ष्य की
 पूर्णता वृद्धि करती है।

यह एक गणनात्मक क्रिया है। वित्तीय क्रिया कलाप के
 क्रिया कलाप के वित्तीय विस्तारों का विस्तार
 विस्तार परमाणु क्रिया रूप है। विस्तार
 उपकरण के आकार से इस स्तरिका को
 श्रेण विभाग को संबंधित करती है।
 सूचों में वित्तीय स्तर को कृपा की
 जा सकती है।

वित्तीय क्रिया कलाप के
 विस्तारों का विस्तार
 उपकरण के आकार से इस स्तरिका को
 श्रेण विभाग को संबंधित करती है।
 सूचों में वित्तीय स्तर को कृपा की
 जा सकती है।

<p>31</p>	<p>1. विना लेख में उपरोक्त सूचना का उपयोग भ्रष्टता, गत्या एवं भ्रष्टता व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है एवं उसे विले लेख से लिए गए। खास मुनकाको/अनुपालो के रूप में वर्णित किया जा सकता है । 2. ठेके मुनकाको/अनुपालो की सूची परिशिष्ट VI एवं V में दी गई है । प्रदा. V वर्ष 1995-96 से 1999-2000 को अवधि के दौरान इन मुनकाको/अनुपालो के आचरण को दर्शाता है ।</p>	<p>यह एक तथ्यात्मक कठिनाई है । विशेष किया-कारण के निर्धारित विद्यमानों का प्रदर्शित किया गया है । उपरोक्त के अलावा वे इस कठिनाई को विव विभाग को लक्षित कठिनाईओं की सूची से विवरणित करने की क्षमता का सकती है ।</p>	<p>आर्थिक विद्यमानों के अनुपालन से इनमें सुधार किया जाय इस अनुपालो के साथ समिति इसे जागे बढ़ाना नहीं चाहती है ।</p>
<p>32</p>	<p>1. राज्य सरकार के वित्तिय विद्योति को ररा के लिए इन मुनकाको/अनुपालो को सार्थकता पर पारदर्शी कठिनाईों में चर्चा की गई है ।</p>	<p>यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । उपरोक्त के अलावा वे इस कठिनाई को विव विभाग को लक्षित कठिनाईओं की सूची से विवरणित करने की क्षमता का सकती है ।</p>	<p>वित्तियगीय उत्तर के अलावा में समिति इसे विस्तारित करती है ।</p>
<p>वर्ष-V</p>			
<p>विभाग सरकार का वित्तिय सूचक</p>			
	<p>1995-96</p>	<p>1996-97</p>	<p>1997-98</p>
	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>
			<p>5</p>
			<p>6</p>
<p>भ्रष्टता</p>			
<p>बी.सी.आर. (कार्य स्थ. में)</p>	<p>(-) 652.39</p>	<p>(-) 192.67</p>	<p>(-) 43.74</p>
<p>परिष्कार</p>	<p>(-) 358.65</p>	<p>(-) 177.55</p>	<p>(-) 145.2</p>
<p>(कार्य स्थ. में)</p>	<p>0.22</p>	<p>0.23</p>	<p>0.21</p>
<p>भ्रष्टता अनुपाल</p>	<p>0.16</p>	<p>0.21</p>	<p>0.23</p>
<p>प्रतिकार</p>	<p>0.12</p>	<p>0.11</p>	<p>0.11</p>
<p>चुन कर प्राधिकार/बी.एस.</p>	<p>0.04</p>	<p>0.04</p>	<p>0.04</p>
<p>बी.पी.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>गवरा पर प्राधिकार अनुपाल</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>गवरा</p>	<p>(-) 652.39</p>	<p>(-) 192.67</p>	<p>(-) 43.74</p>
<p>बी.सी.आर. (कार्य स्थ. में)</p>	<p>0.27</p>	<p>0.23</p>	<p>0.21</p>
<p>भ्रष्टता</p>	<p>0.04</p>	<p>0.04</p>	<p>0.04</p>
<p>चुन कर प्राधिकार/बी.एस.</p>	<p>0.40</p>	<p>0.40</p>	<p>0.42</p>
<p>बी.पी.</p>	<p>825</p>	<p>619</p>	<p>1052</p>
<p>गवरा पर प्राधिकार अनुपाल</p>	<p>1309</p>	<p>1348</p>	<p>2239</p>
<p>(कार्य स्थ. में)</p>	<p>3658</p>	<p>5986</p>	<p>3703</p>

प्रारंभिक घाटा (को.डो.)	(-)359	(-)594	178	1247	3129
संशोधन (को.डो.)	(-)0.07	(-)0.44	0.08	0.34	0.52
घाटा को.डो. एक को.	0.63	0.48	0.47	0.62	0.62
संशोधन को.डो. एक को.	0.16	0.16	0.02	0.10	0.08
परिष्कारित/व्यय	0.80	0.79	0.77	0.73	0.64

टिप्पणी: 1 वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में राजकोषीय घाटा से अधिक ब्याज भुगतान या अंतः अण्डात्मक आंकड़ों प्रारंभिक घाटा के लिए है।

(1) चालू राजस्व से शोध (बी.सी.आर.)

राजस्व प्राप्तियों घटाव योजना सहायता अनुदान घटाव और शोध राजस्व व्यय को बी.सी.आर. के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक धनात्मक बी.सी.आर. दर्शाता है कि राज्य सरकार के पास योजना व्यय को पूरा करने के लिए उसके राजस्व से अधिशेष है। तालिका दर्शाता है कि राज्य सरकार को सभी पाँच वर्षों में चालू राजस्व से अधिशेष नहीं था तथा वर्ष 1999-2000 में अण्डात्मक बी.सी.आर. पूर्व के वर्षों से 135 प्रतिशत बढ़ा हुआ था। सरकार को अपने समस्त योजना व्यय को ही पूरा करने के लिए कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। या अपितु चालू राजस्व में पर्याप्त अन्तर को घटाने के लिए भी कर्ज पर निर्भर रहना पड़ता था।

80 के दशक के मध्य में मुख्यतः सभी राज्य राजस्व घाटे में बसे गए थे। यह एक व्यवस्थात्मक स्थिति है। किसी राज्य विशेष जन्म नहीं है। वस्तुतः, पेशान एवं सूद घट में काफी राशि का भुगतान हो जाने के कारण चालू राजस्व शोध धनात्मक नहीं बच पाता है। राजस्व व्यय को घटाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य में अधानक राजस्व व्यय को अधिक घटाना संभव नहीं है। फिर भी राज्य सरकार का प्रयास राजस्व घाटा एवं राजस्व प्राप्तियों के अनुपात को घटाने जाने का है।

स्थिति की पुनरावृद्धि नहीं हो इस अनुशासक के साथ समिति विभागीय उत्तर के आलोचक से इसे निस्तारित करती है।

(ii) व्याज अनुपात

व्याज अनुपात जितना ही उच्च होगा, सरकार का कार्य जितना सफल होगा उतना ही कम होगा। विद्यमान के मायने में वर्ष 1997-2000 के दौरान अनुपात औसत से बढ़कर 2.27 से 2.22 हो गया है। पूर्व वर्ष के अनुपात 0.25 से बढ़कर 1999-2000 में 0.27 हो गया। इसके परिणामस्वरूप इसके परिचालन में सुदृढ़ता की प्रक्रिया आरम्भित करने हुए मजबूत बाजार में वृद्धि हुई एवं कर्ज बढ़ गया। 8वीं योजना अवधि के दौरान अनुपात बाजार कर्ज बढ़े एवं उसके बाद जब सरकार योजना चयन के विषय चर्चा करने के लिए उच्च मजबूत कर्ज लेगी थी लेकिन उसके खर्च नहीं करने और गैरकूट राशियों निवेश को बढ़ाने की अनुपात 0.22 का मुख्य रूप से बढ़े हुए व्याज भार हेतु आरम्भित किया गया था। इस निवेश ने अन्य उपाय निलंबित थे जबकि इसी की तुलना में बाजार भूतल अधिक करण प्रकृत था। अनुपात के नियंत्रण के कारण व्याज भार को कम करने हेतु किसी लाभदायक प्रतिक्रिया को अथवा संशोधना है।

अनुपात वर्ष के वार्षिक योजना में मुख्य के लिए बाजार व्याज एवं कर्जों के माध्यम से प्राप्त होने वाले व्याज लाभ बचतों एवं निर्णयों के लिए व्याज के अधिकतम निर्धारण को जारी है। बाजार व्याज की गारंटी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'क्रिप्टो' में को जारी है और पूरे देश के बैंकों के लिए उपायों के माध्यम विभिन्न चरणों में को जारी है। दरि का उद्देश्य गैरकूट राशियों निवेश में किया जाना मुख्य रूप से दरि के माध्यम रिजर्व बैंक, नगरपुर में यह व्यवस्था है कि अगर दरि न्यूनतम निर्धारण मात्र में अधिक रहती है तो इसका प्रभाव 12 दिन के बाजारों बिक्री में निवेश किया जा सकता है, जिससे सरकार को कुछ मुद्र को प्राप्त हो जाती है। बाजार में निवेशों के माध्यम विकासोन्मुख निवेश के लिए लिया गया है। कारणों से दरि में निवेशित राशि दिन-प्रतिदिन अल्पतम के दरि में संवर्धित है। दरि व्याज की दरों को न्यूनतम बाजारों बिक्री में निवेश को मात्र में दरि मुक्ति प्राप्त होती है।

व्याज अनुपातवृद्धि की नियंत्रित किया जाय इस अनुपातों के माध्यम से समर्थन इस कीटिका का निस्तारित करती है।

(iii) पूंजीगत परिवर्धन/पूंजीगत प्राप्ति

यह अनुपात दर्शाता कि पूंजीगत प्राप्ति का एक से अधिक पूंजी पूंजी के लिए उपयोग किया जाता है। एक से कम का अनुपात वर्ष काल में जब तक 0.6 नहीं रहेगा जब तक वह गैरकूट राशियों के लिए पूंजीगत प्राप्ति में एक दिनांक का अनुपात के माध्यम व्याज के निवेश निवेशन किया जा रहा है। इसके विपरीत एक से अधिक का अनुपात गैरकूट राशियों के निवेशन में ही पूंजीगत प्राप्ति के लिए है। एक से अधिक का पूंजी निवेशन अन्य सरकार के वित्तीय परेशानों को आरम्भित करता है, यद्यपि पूंजीगत प्राप्ति अन्य परेशानों में सुधार देता है। निवेश के माध्यम से अनुपात हमेशा से दो तक से कम रहा है और 0.16 एवं 0.37 के मध्य गत रहे हैं जो संतुलित करता है कि पूंजीगत प्राप्ति का 0.3 से 0.4 पर्यन्त दर निवेश के साथ प्रयोजनी के लिए उपलब्ध था तथा 1999-2000 में दौरान अनुपात में सुधार का कारण निवेश राशियों के कारण था। दरि के पूंजीगत चयन को पूरा करता था। यह समझा हुआ कि अन्य कर्जों को अनुपात के माध्यम बाजार की स्थिति में रहा था। इस अनुपात से संतुलित कि सरकार का पूंजीगत प्राप्ति के लिए है करियर का निवेशन पर प्रभाव दिखता था।

वित्तन दरि में न्यूनतम दरि से सरकार के मोने पर उपलब्ध राशि का प्रभाव पूंजीगत प्राप्ति के लिए हो सकता है अन्य राशि प्राप्त में दो ता पूंजीगत प्राप्ति का प्रभाव प्रभाव प्राप्त को पूंजीगत प्राप्ति के लिए उपलब्ध दरि स्वभाविक है। पूंजीगत प्राप्ति 0.3 से 0.4 पर्यन्त दरि के माध्यम 1999-01 में 0.22 का कारण था। दरि

यसकार के वित्तीय प्राप्ति में सुधार की आवश्यकता की अनुशासकों के माध्यम प्राप्ति इस जाने कर्तव्य रही बाजार है।

(IV) कर राजस्व बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी)

कर प्राप्ति में राज्य कर एवं केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा शामिल है। राज्य में रह रहे लोगों द्वारा भुगतान केंद्रीय करों के रूप में भी परवर्ती को मजहूर जा सकता है। कर प्राप्ति में सुदृढ़ता का संकेत देती है। लेकिन साथ ही साथ कर प्राप्ति में जी एस डी पी से अनुपात का आशय न्यूनता के लिए भी लेना चाहिए। जबकि कम अनुपात का अर्थ होगा कि सरकार और कर लगा सकती है एवं इस प्रकार इसकी न्यूनता होगी, एक उच्च अनुपात विनीय साधन को मीमा को ही नहीं अपितु इसकी न्यूनता को भी सूचित करता है। संपन्न विरलेपण दर्शाता है कि बिहार के मामले में पर अनुपात वर्ष 1996-97 से 1999-2000 को अक्षय के दौरान हमेशा 0.11 पर स्थित रहा है। इसी प्रकार जी एस डी पी की तुलना में राज्य कर प्राप्ति का अनुपात भी वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के दौरान 0.09 पर स्थित रहा है। जी एस डी पी से राज्य कर का कम अनुपात होना संकेत देता है कि सरकार अपने कर आधार को सुधारने में कारगर कदम उठाने में विफल रहा। नकारात्मक करों के संग्रहण में भी सुधार नहीं हुआ है।

कर प्राप्ति में दो तरह की प्राप्ति होती है- एक राज्य के अपने करों में प्राप्ति जिसमें वर्ष 1998-99 में 2682 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी और 1999-00 में 3085 करोड़ रुपये का हिस्सा, 1998-99 में 4441 करोड़ रुपये की प्राप्ति एवं 1999-00 में 4962 करोड़ रुपये की राशि इस मद में हुई है। राज्य अपने करों में वृद्धि के लिये सतत प्रयत्नशील है। याणिय कर, निबंधन एवं पणिय निधनों के अधीन नियंत्रण होने बाल नियमों में संशोधन कर राजस्व संग्रहण में वृद्धि की गयी है और नई उत्पाद नीति भी लागू करने का विचार राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। नकारात्मक करों के संग्रहण के लिये भी जिला नीलाय पराधिकारी को सतत प्रयत्नशील रहने का निर्देश दिया जाता रहा है। मुख्य राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों को राजस्व वसूली की सक्षमता के बेटक मुख्य सचिव को अभ्यसता में माल में कई नाम को जाती है।

कर आधार को सुधारने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना साथ इस अनुशासन के साथ समिति इस कठिनाई को निस्तारित करती है।

(V) निवेश पर प्रतिफल (आर ओ आई)

पूंजीगत लागत में उपार्जन का अनुपात आर ओ आई कहलपता है। एक उच्च आर ओ आई सुदृढ़ता का घातक है। संविधिक नियमों सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों एवं सहकारिता संस्थानों में सरकार के निवेश से प्रतिफल का तात्त्विक प्रस्तुत करती है। अधिकतर निवेश उनके घाटा को बिल प्रदान करने में नला जाता था एवं इस प्रकार निवेश से प्रतिफल नगण्य स्तर पर रहता था।

यह सर्वविदित है कि सरकारी लोक उपक्रम का उद्देश्य फिर लाभ अर्जित करना नहीं रहता है, बल्कि भाग कल्याणकारी राज्य में लोक उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य आधारभूत संरचनाओं का व्यवस्थापन तथा विकासमार्मक और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के उद्देश्य से होता है। लोक उपक्रमों के विगत कई वर्षों से घाटे में चलने के कारण निवेश का प्रतिफल राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार नया निवेश लोक उपक्रम में नहीं कर रही है। वर्ष 1995-96 से 99-00 के बीच देखा जाये तो निवेश स्तर कम था। उदाहरण स्वरूप- 1995-96 में 14 करोड़ रुपये, 1996-97 में 20.57 करोड़ 1997-98 में 0.09 करोड़, 1998-99 में 14.03 करोड़ 118 1999-00 में 2.74 करोड़ रुपये मात्र का निवेश किया गया था।

निवेशित राशि की उत्पादकता प्रतिफलित हो इस दिशा में कारवाई होनी चाहिए इस अनुशासन के साथ समिति इस कठिनाई को निस्तारित करती है।

(Xii) परिसम्पत्तियाँ बनाम दायित्व

यह अनुपात सरकार के ऋण चुकाने की योग्यता को सूचित करता है। एक से अधिक का अनुपात सूचित करेगा कि सरकार को ऋण चुकाने की (दायित्वों से परिसम्पत्तियाँ अधिक हैं) योग्यता है, जबकि एक से कम का अनुपात प्रतिफलता का सूचक होगा। यह अनुपात क्रमिक रूप से घटते हुए वर्ष 1993-96 के 0.8 से गिरकर 1999-2000 में 0.64 हो गया। यह राज्य सरकार के सम्पन्नता में कमी जारी रखने को इंगित करता है। इस तथ्य के परिपेक्ष्य में इस निम्न अनुपात को समझा जा सकता है कि मुख्यतः धातु में चलने वाली सरकारी कम्पनियों में निवेश के रूप में वित्तीय सम्पत्तियों (कुल परिसम्पत्तियों का 29 प्रतिशत) के परिसम्पत्तियों के रूप में लिया गया था।

(Xiii) बजट

बजट को उपस्थापित करने एवं उन्हे अनुमोदित करने में विनम्ब नहीं किया गया था। इस प्रतिवेदन के अध्याय- II में बजट आकलन एवं वास्तविक व्यय में विक्षिप्त तथा बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की गुणवत्ता का भी विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। बजट बनाने में त्रुटि एवं व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण को यह इंगित करता है जैसा कि प्रतिवर्ष वषट्ट राशि का निरन्तर पुनर्गठन (अभ्यर्पण) के साथ साथ अंतिम मर्यादित अनुदान के द्वारा स्पष्ट था। वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल बजटीय निधि का 12 प्रतिशत व्यय नहीं किया गया था (बचत) जो बजट के विश्वसनीयता को संदेहास्पद बनाता है। पुनः वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए पूरक प्रावधान मूल आकलन का 28 प्रतिशत था जिससे अविश्वसनीय एवं गलत बजट निर्माण का संकेत मिलता है।

यह एक तथ्यात्मक कथन है।

परिसम्पत्तियाँ बनाम दायित्व अनुपात को बढ़ाने का प्रयास ही इस निर्देश के साथ इस कौटुका को निष्पादित किया जाना है।

बजट अनुमान वित्तीय वर्ष शुरू होने के पूर्व किया जाना है, जिसमें संभावित व्यय की राशि को आधापना जाता है। इसमें जीवन-यापन धना में सभाषित प्रतिशत वृद्धि की राशि राशिमिल की जाती है, इसके अतिरिक्त नयी नियुक्तियों एवं योजना आकार के आलाक में व्यय होने वाले राशि के दिव्य बजट प्रावधान, केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजना के लिए व्यय का आकलन केन्द्र सरकार में प्राप्त होनेवाले राशि के आधार पर किया जाता है। माल के अंत में आगे जीवन यापन धना में वितनी प्रतिशत राशि का भूगतान अनुमानित किया गया था, उतनी प्रतिशत राशि का भूगतान नहीं होने में बचत होना स्वभाविक है। इसके साथ-साथ राज्य योजना आकार में संसाधन उपलब्धता एवं प्रक्रियात्मक स्वीकृति के कारण कमी आने के फलस्वरूप, केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजना में राशि कम प्राप्ति के फलस्वरूप उक्त मद में व्यय नहीं होने के कारण बचत होना स्वाभाविक है।

व्यय बजटीय आवंटन के 10 प्रतिशत (अधिकतम) अंतर के अंतर्गत रखने का प्रयास होना चाहिए। इस अनुशासना के साथ विभागीय जबाब के आलाक में सम्पत्ति उभ कौटुका की निस्तारित करती है।

मूल बजट बनाने समय जैसे संभावित व्यय जो कि वित्तीय वर्ष में होने है, के लिए अनुपूरक के माध्यम से प्रावधान कराया जाता है। राज्य योजना का आकार उपाध्यक्ष, योजना आयोग एवं राज्य सरकार से विमर्श के उपरान्त निर्धारित होता है, जो कि पिछले कई वर्षों से वित्तीय वर्ष शुरू हो जाने के उपरान्त निर्धारित हो रहा है, जिसके कारण मूल बजट बनाने के समय सभी व्ययों को अनुमानित किया जाना संभव नहीं है। इसी तरह केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए भी परियोजनाओं के लिए प्राप्त होने वाली राशि की सूचना वित्तीय वर्ष के शुरू में प्राप्त नहीं होने के कारण अनुपूरक में राशि का प्रावधान करना पड़ता है।

(Xiii) लेखा

बिहार सरकार आद्यतन बहुत महीनों तक लेखा में विलम्ब किया जिसके कारण इसका वार्षिक लेखा समय पर संकलित नहीं हो सका। वर्ष 1999-2000 के दौरान कौषागार एवं लोक निर्माण तथा वन प्रमण्डल जैसी अन्य लेखाकरण इकाईयां नियत तिथियों पर लेखा संपूर्ण नहीं करते थे। उदाहरणस्वरूप मार्च 2000 का लेखा देने में 43 कौषागारों 260 लोक निर्माण प्रमण्डलों तथा 132 वन प्रमण्डलों द्वारा 30 एवं 180 दिनों का विलम्ब किया गया था। फलस्वरूप वर्ष के अधिकारा भण्डानों में व्यय के वास्तविक स्तर को लेखा नहीं दर्शा पाया।

लेखा के प्रस्तुतीकरण में विलंब निश्चित ही राज्य हित में नहीं है। कौषागारों से मसमय लेखा प्रेषण किया जाये, इस उद्देश्य में भी कौषागारों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। उन कौषागारों का कंप्यूटरीकरण वित्तीय वर्ष 2003-04 किया जा रहा है। लोक प्रमण्डलों के द्वारा लेखा समय से भेजा जाय इस संदर्भ में स्थायी समिति को बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो भी लोक प्रमण्डल समय से लेखा प्रेषित नहीं करेगा, उन्हें चेक अधिकार का अधिकार छिन लिया जाय, जबतक वे लेखा प्रेषण नहीं कर देते हैं। लेखों का प्रेषण समय से ही इसे राज्य सरकार गंभीरता से लेता है। स्थायी समिति, जिसमें कि प्रधान महालेखाकार एवं वित्त आयुक्त को बैठक में इस संदर्भ में मधीक्षा की जाती है एवं आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं।

विभागीय जवान के आलोक में समिति इस कॉडिका को निष्पारित करती है।

This report is submitted to the Board of Directors of the Company for their information and guidance. It is prepared in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956, and the Companies (Accounts) Regulations, 1989. The figures are self-explanatory and are based on the books of account maintained by the Company.

Particulars	2008	2009	2010	2011
Revenue	1000000	1200000	1500000	1800000
Expenses	(800000)	(900000)	(1000000)	(1100000)
Profit	200000	300000	500000	700000
Dividend	(100000)	(150000)	(200000)	(250000)
Reserves	100000	150000	300000	450000

The above figures are based on the books of account maintained by the Company. The figures are self-explanatory and are based on the books of account maintained by the Company. The figures are self-explanatory and are based on the books of account maintained by the Company.

The figures are self-explanatory and are based on the books of account maintained by the Company. The figures are self-explanatory and are based on the books of account maintained by the Company.

2.3.
5

वित्तियोग संस्थापरीक्षा का परिणाम

3107.98 करोड़ ₹0 (कुल प्रावधान का 13 प्रतिशत) का समग्र बचत, अनुदानों के 47 चयनों एवं वित्तियोगों के 15 मामलों में 3434.39 करोड़ रुपये (22 प्रतिशत) को बचत एवं 2 अनुदानों और 3 वित्तियोगों के 326.41 करोड़ ₹0 (4 प्रतिशत) के आधिक्य का निवल परिणाम था। कुल बचत में 2689.79 करोड़ ₹0 (78 प्रतिशत) राजस्व से संबंधित एवं 744.60 करोड़ ₹0 (22 प्रतिशत) पूंजी से संबंधित थे। 326.07 करोड़ ₹0 के आधिक्य में 5.74 करोड़ ₹0 (12 प्रतिशत) राजस्व से तथा 320.67 करोड़ ₹0 (98 प्रतिशत) पूंजी से संबंधित था। इसमें से केवल 196.23 करोड़ ₹0 के आधिक्य को संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमित करना अपेक्षित था, जैसा कि परिशिष्ट IV में दर्शाया गया है।

अधिकांश बचत, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के दक्षमत्त रूपांग में हुए थे :

कुल प्रावधान (दरमत्त प्रभाग)	(मूल+पूरक)	बचत	प्रतिशत
1. राजस्व व्यय	14090.20	2677.84	19
2. पूंजीगत व्यय	1971.63	738.18	37

धनोपयोग में प्रकट हुआ कि राजस्व खातों के अधिकतर बचत (1955 करोड़ ₹0) पेंशन (587 करोड़ ₹0), ग्रामीण विकास विभाग (390 करोड़ ₹0), माध्यमिक प्राथमिक एवं लोक शिक्षा विभाग (302 करोड़ ₹0), स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (242 करोड़ ₹0), कल्याण विभाग (235 करोड़ ₹0) तथा गृह विभाग (199 करोड़ ₹0) से संबंधित थे। पूंजी खातों के अधिकतर बचत (565 करोड़ ₹0) लोक स्वास्थ्य अभिवृद्धि विभाग (97 करोड़ ₹0), पथ निर्माण विभाग (82 करोड़ ₹0) ग्रामीण विभाग विभाग (97 करोड़ ₹0), ग्रामीण विकास विभाग (63 करोड़ ₹0) एवं ग्रहण समायोजन विभाग (226 करोड़ ₹0) में हुए

इसमें से कम से कम 1847 करोड़ ₹0 (59 प्रतिशत) के बचत के लिए कारणों का व्यवहारीकरण संबंधित विभाग/व्ययों द्वारा नहीं दिया गया था। सरकार द्वारा जहाँ तक बचतों का व्यवहारीकरण दिया गया वह मुख्यतः भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विधि की शिष्टाचार योजना परियोजना में कर्मों, मामलों की कमी/आपूर्ति में विलंब, योजनाओं की निरवधि स्वीकृति, विधान सभा चुनाव करारों ज्ञान, विधि का आवंटन आदि निर्मित नहीं करने वन भूमि के स्थानांतरण में तथा भू-अर्जन में हुए विलंब से संबंधित था।

वित्तियोग विभागों में अधिकांश व्यय पर काबू थाने में बिहार सरकार विफल रही। 326.41 करोड़ ₹0 के समग्र अधिकांश व्यय को भी प्रत्येक अनुदान एवं वित्तियोग के अन्तर्गत विभिन्न उप शीर्षों के तहत विभागों पराधिकारियों द्वारा स्पष्ट अधिकांश व्यय के परिपेक्ष्य में समझना था। इन अनुदानों के अन्तर्गत हुए बहुत अधिक समग्र बचतों के कारण उप-शीर्षों के तहत आधिक्य प्रतिबुद्धि किट गए थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

बजट अनुदान से बचत होने का मुख्य कारण जीवन यापन भत्ता को एक निश्चित प्रतिशतता पर रचना विनियम वर्ष के लिए संभावित व्यय के लिए की जाती है। कई कारणों से कितनी प्रतिशतता तक जीवन-यापन भत्ता की स्वीकृति अपेक्षित बजट में आती गई थी, उतनी नती भूतलाने होने पर बचत होना एक स्वाभाविक स्थिति है। इसके अतिरिक्त पाजना आकार के अनुसार बजट प्रावधान किया जाता है। अपरिहार्य कारणों से योजना आकार में कमी आने में बचत हो जाती है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजना में व्यय होने वाली राशि केन्द्र में प्राप्त होने वाली राशि/परियोजना के आधार पर प्रावधानित की जाती है। अगर उक्त वित्तियोग वर्ष में उन परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से राशि/परियोजना की स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है तो, बचत होना स्वाभाविक है। अधिकांश व्यय किन्-किन् अनुदानों में हुआ, उनके अलग-अलग दर्जनों की आवश्यकता है। अधिकांश व्यय के लिए प्रणामी विभाग लोक सेवा समिति के समस्त संविधान के 205 के अधीन निर्धारित करने के लिए तथ्यात्मक विवरणों के साथ प्रस्तुत करता है।

वित्तियोग उत्तर 6 आसोक 15 क्रमांक 14 से 14 में 1.4 कॉडिकाओं का निष्पादन निम्न विदेश के साथ किया जाता है। बजट प्रक्रिया एवं वित्तियोग विभागों का चलन ही आर्थिक व्यय का आधार वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही तथा नियंत्री पदाधिकारियों को वित्तियोग प्रबंधन को सुचारु करने हेतु उत्तरदायी बनाया जाय।

अनुदान सं०	विभाग	बजट	आधिक्य	समग्र बजट	वित्त विभाग (राजस्व)
66 60	4.36	48.69			
3	धन नियंत्रण एवं आवक विभाग				
	राजस्व	30.09	9.29	21.18	
	पूंजी	15.76	2.80	11.62	
0	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा				
	गृह परिवार कल्याण विभाग (राजस्व)	283.08	50.30	241.58	
21	उच्च शिक्षा राजस्व	35.78	4.46	35.53	
32	स्वास्थ्य	52.02	7.28	42.72	
	कल्याण पूंजी				
36	लोक स्वास्थ्य अधीक्षण विभाग				
	राजस्व	24.66	10.99	11.62	
41	धन नियंत्रण विभाग				
	राजस्व	49.16	27.95	18.22	
	पूंजी	113.70	35.12	81.65	
42	ग्रामीण विकास विभाग (राजस्व)	415.68	29.38	389.24	

इस प्रकार बजट प्रावधान के अंतर्गत व्यय को रखने में निर्याती पदाधिकारियों एवं सरकार के अधिकारियों द्वारा उभरे विभागों के अनुदानों पर उचित नियंत्रण रखने में विफलता के कारण कुछ विभागों में अधिकाई व्यय की निरंतरता वर्ष के दौरान भी जारी रही। कंडिका 2.3.10 में अ-2 अधिकाई व्ययों के घायल को बर्बाद कर दिया है।

अगर अधिकाई व्यय के विनिर्देशन के अनुसार के अनुसार लोभ लगा संचित द्वारा नहीं की जाती है। निकासी एवं व्यय पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुक्रम कार्रवाई होगी। वित्तीय वर्ष 1998-99 से आगे के वर्गों के लिए विधि निकासी एवं खर्च नियंत्रण के व्यवस्था के संबंध में स्थायी अनुदेश निर्गत किये गये हैं, जिनके अंतर्गत कुछ मामलों में छोड़कर शेष सभी राशि की निकासी आवंटन आदेश के आलोक में हो जा सकती है। उपरोक्त के आलोक में इस कंडिका का वित्त विभाग के संबंधित सूची में विलीनित किया जा सकता है।

3 7.3.
6 7

वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया पूरक प्रावधान मूल बजट प्रावधान को 27.82 प्रतिशत था जब कि मूल वर्ष में यह 14.59 प्रतिशत था। अविश्वस्त एवं गलत मूल आकड़ों के कारण पूरक अनुदानों की इतनी वृद्ध राशि दायीय बजट प्रवन्धन को दर्शाती है।

भारतीय के विभाग में यह व्यवस्था की गयी है कि मूल बजट व अतिरिक्त अनुपूरक प्रावधानों के अंतर्गत राशि प्रायः प्रायः की जा सकती है। वार्षिक योजना आकार वर्ष के शुरु में निर्धारित नहीं होने के कारण पूरी वार्षिक योजना के उद्घाटन का प्रावधान मूल बजट में नहीं हो पाता है। केंद्रीय प्रायः प्रायः प्रायः एवं केंद्रीय योजनागत योजना के संबंध में परिशोधन के लिए भारत सरकार में राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि उसका व्यय धीरे-धीरे वर्ष में किया जा सके। परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष के शुरु में जांचकारी होने के अभाव में मूल बजट में राशि प्रकल्पित कर पाने सम्भव नहीं हो पाता है। राज्य सरकार के बजट प्रबंधन के पूरक अनुदानों की राशि में प्रावधानों के आधार पर आकड़ों का निर्धारण नहीं है। उपरोक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग के संबंधित सूची में विलीनित करने की कृपा की जा सकती है।

<p>3 7</p>	<p>2.3. 3 आमल 1999, जनवरी 2000 एवं मार्च 2000 से 57 मामलों में प्राप्त किए गये (परिशिष्ट-VII-1997.02 करोड़ रु० के पूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक से क्योंकि इन मामलों में व्यय कुल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं हुए थे । 18 और मामलों में (परिशिष्ट-VIII) मात्र 360.47 करोड़ रु० को ही अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी, जबकि 912.10 करोड़ रु० के पूरक अनुदान प्राप्त किए गये थे, फलतः प्रत्येक मामले में यद्यत् 10 लाख रु० से अधिक था ।</p>	<p>किन्ती जो अनुदान में बहुत प्रावधान मुख्य शर्तों के अंतर्गत किए उन शर्तों और किए इकाई से व्यय किया जाता है, क अफवाग कि किया जाता है । उपयोग के संदर्भ में पूरक प्रावधान की आवश्यकता यद्गी है । धन/व्यय की गति को उपशेय एवं पर्याप्तकर देखकर ले प्रकाश सकता है कि पूरक प्रावधान आवश्यक था । उपयोग के अंतर्गत से पर कडिका का धिन दिखना का संबंध कडिकाओं की मधी से मिलीगत करने की पूरा की जा सकती है ।</p>
<p>3 8</p>	<p>2.3. 6 43 मामलों में, जैसा कि परिशिष्ट IX से दर्शाया गया है, व्यय में 2 करोड़ रु० से उससे अधिक की एवं कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक की भी कमी थी</p>	<p>भारत के नियंत्रक महापरीक्षक के 31 मार्च 2000 को प्रेषित हुए वर्ष का वित्तीय विवेकन में परिशिष्ट IX में 43 अनुदान/विनियोग के संदर्भ में भाई कि बहुत एशि दो करोड़ रुपये या उससे अधिक की एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की भी कमी थी, को पूरा दिखाते पाते है । प्रत्येक अनुदान/विनियोग के संदर्भ में संबंधित उशासी विभाग का बचत के कारणों की सूचना उपलब्ध करानी है । विन विभाग से संबंधित पाण संख्या-12 में 24.80 करोड़ रुपये को बचत के लिए राजस्व से मुख्यतः दुर्लभ कर्म, विद्युत के लिये आवदन को भाग नहीं होना, वरीय लेखा परीक्षकों की हड़ताल अथवा के बचत की अनिकासी तथा क्षेत्रीय योजनाओं में सभी धरीय लेखा परीक्षकों का विनियोजन पुनर्देशित संवत्मान में विविध अधिकारियों का बचत का अनुभव, मिलक्यिता का अनुभव, राजस्व विदेशक की संयोजना का विषय आदि के कारण हुई थी । पूजागत में 5.77 करोड़ रुपये में बचत अंशतः अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से गृह विभाग अग्रिम के लिए कर्म संख्या से आवदन मधुन सूचना के कारण संतर कर अग्रिम की अस्वीकृति तथा हड़ताल के चलते निबंधन कार्यालय के बंदे के कारण हुआ था । 1999 अनुदान में कम पम्पको के कारण बचत हुई थी, पेशन मर से बहुत प्रावधान के लिए कितनी शक्ति लीकी जाय, इसका सही-सही अनुदान कर पाया मुश्किल हो रहा है । महालेखाकार के कार्यालय से पेशन की संवेकृति होती है । अपेक्षा यह है कि महालेखाकार कार्यालय</p>

			<p>द्वारा पेशान के लिए प्रावधान भंग जाय, किन्तु वे उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। जिस कारण इन मद में बजट आकलन पूर्व के व्यय के आधार पर रखा जाता है वर्ष 98-99 में 1024.16 करोड़ रूपी पेशान में खर्च हुआ था। 99-00 के लिए 1240.66 करोड़ की राशि का प्रावधान यह माना हुए किया गया था कि पेशान पुनरीक्षण के कारण राशि में छूट अधिक होगा। परंतु पेशान पुनरीक्षण नहीं होने के कारण बचत हुई है। उपरोक्त के आलाोक में इस कठिका को वित्त विभाग की संबंधित कठिकाओं की सूची से विलोपित करने की सूची की जा सकती है।</p>
3 9	2.3. 7	49 मामलों में प्रत्येक में 2 करोड़ रूपी से अधिक सतत बचते पायी गयी थी (इष्टव्य परिशिष्ट X)	<p>विन अनुसंधान/विभाग के मामलों में बचत आये गयी है, संबंधित प्रशासकी विभागों में इन बचतों में बचतों के कारण कार्यकारी प्रणाली को खरी है। बचत का अंश 2 करोड़ रूपी से अधिक नहीं कर सकते अन्य संभव नहीं है क्योंकि कई ऐसे अनुदान हैं जिसमें 200 से अधिक करोड़ रूपी का प्रवधान किया जाता है। 1 करोड़ रूपी की राशि मात्र प्रवधान होती है। बजट प्रावधान में जीवन-काल भत्ता में प्राप्त होने वाली संपत्ति प्रवधान, बोनस अकार के अनुदान बजट प्रावधान, केंद्रीय प्रवर्धित पेंशन एवं केंद्रीय बचतपत्र योजना के लिए राशि का प्रवधान करके पड़ता है। अगर इनमें अतिरिक्त अन्य संपत्ति नहीं आता है तो बचत होने एक सम्भावित प्रवधान है। उपरोक्त के आलाोक में इस कठिका को वित्त विभाग की संबंधित कठिकाओं की सूची से विलोपित करने की सूची की जा सकती है।</p>
4 0	2.3. 9	पूर्वानुमानित बचतें अभ्यर्षित नहीं की सरकार द्वारा बजट पर नियमों के अनुसार जब कभी भी बचतें पूर्वानुमानित हों, स्वयं करने वाले विभागों द्वारा वित्त विभाग को अनुदान/विनियोग या उसके भाग अभ्यर्षित कर दिए जाने थे। हालांकि वर्ष 1999-2000 के अंत में विभागों द्वारा राजस्व भंडा के 33 अनुदानों एवं 1 विनियोग तथा पूर्वी अंश के 10 अनुदानों में, जिनमें प्रत्येक मामलों में एक करोड़ रूपी से अधिक के 1480.91 रूपी की बचतें थी, को अभ्यर्षित नहीं किया गया था (इष्टव्य परिशिष्ट XIII)।	<p>बचत की पूर्वानुमानित राशि विभागों द्वारा अभ्यर्षित नहीं किये जाने के कारण प्रत्यर्पण की राशि अतिथि दिनों में की जाती है। विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ बिलो/अनुसंधान/अंशों के कार्यालयों को राशि आवंटित की जाती है। इनमें बचत की सूचना प्राप्त होने के उपरंत प्रत्यर्पण की कार्यवाई की जाती है। बचत राशि वित्तक आर्बेटन विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को नही किया गया है और स्वयं होने सम्भावित नहीं है, उसे समय से प्रत्यर्पण कर दिया जाये। इस संबंध में वित्त विभाग से इस विषय वर्ष में अनुसंधान/विनियोग दिया जायेगा।</p> <p>उपरोक्त के आलाोक में इस कठिका को वित्त विभाग की संबंधित कठिकाओं की सूची से विलोपित करने की सूची की जा सकती है।</p>

4 1	2.3. 11	<p>आकस्मिकता निधि से अग्रिम</p> <p>भारत के संविधान की भाग 267(2) के प्रावधानों के शर्तों के अनुसार बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत 1.00 करोड़ रु० की आरंभिक राशि के साथ बिहार राज्य की आकस्मिकता निधि स्थापित की गयी थी। उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करके इस समय पर बढ़ाकर 31 मार्च, 2000 को यह 350 करोड़ रु० (वर्ष 1987-88 में) पर पहुंच चुका था। राज्य विधान मंडल द्वारा प्राधिकार को लंबित रखते हुए "नरमदा" पर व्यय सहित अपूर्वानुमानित व्यय, जिसे स्वयं ही किया जा सकता था, पूरा करने के लिए निधि अग्रकाय के रूप में राज्यपाल के व्याधीन रखी गयी है।</p> <p>वर्ष 1997-98 के दौरान स्वीकृत 260.30 लाख रु० के अग्रिम वर्ष के आरम्भ में प्रतिपूर्ति हेतु लंबित थे। वर्ष 1999-2000 के दौरान अग्रिम की प्रतिपूर्ति की गयी।</p> <p>आकस्मिकता निधि के संचालन की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 1999-2000 के दौरान 590.39 करोड़ रु० के कुल 237 अग्रिम स्वीकृत किए गए थे।</p> <p>यह पता चला कि:-</p> <p>(I) इन सभी अग्रिमों की प्रतिपूर्ति प्रथम पुरक अनुदानों/विनियोगों (232.20 करोड़ रु० से निहित 43 स्वीकृत्यदेशों), द्वितीय पुरक अनुदानों/विनियोगों (286.20 करोड़ रु० से निहित 120 स्वीकृत्यदेशों), एवं तृतीय पुरक अनुदानों/विनियोगों (71.89 करोड़ रु० से निहित 74 स्वीकृत्यदेशों) के माध्यम से की गयी थी।</p> <p>(II) परिशिष्ट -XX में विवक्षित कुछ निदर्शों मामले दर्शाएंगे कि 81.11 करोड़ रु० के व्यय का करन के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त किए गए थे, जबकि व्यय वैसा नहीं था कि उसका पूर्वानुमानित/स्वयं ही किया जा सकता था।</p>	<p>बिहार आकस्मिकता निधि की अधिमोदा 1987-88 में 350 करोड़ रु० कर दी गयी है। अनुपूर्क प्राय में बिहार आकस्मिकता निधि में दिए गये राशि का समायाजन किया जाता है। अनुपूर्क में राशि समयाजन होने का उपगत पुनः निधि 350 करोड़ रु० की उपलब्ध हो जाती है। वित्तीय वर्ष में 590.39 करोड़ रु० को स्वीकृति में निधि की अधिमोदा का अवक्रमण नहीं किया गया है। आकस्मिकता निधि में राशि को उपलब्ध पेशाकी विभाग द्वारा व्यय के आवश्यकता के आलोक में उपलब्ध करायी जाती है। उपरोक्त के आलोक में इस कार्यका को वित्त विभाग की लंबित कार्यकाओं को धुनी से विलापित करने की रूपा को जा सकता है।</p>
--------	------------	--	--

32 प्रतिशत सामंजस नहीं किया गया था

वित्तीय नियमावली के अनुसार आवश्यक है कि व्यय के विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार को वही स दर्ज आंकड़ों के साथ नियत अवधि पर विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा भाषाजन किया जाए। उच्चतम स्तर में बरखाग म्यार के बावजूद वर्ष 1999-2000 के दौरान 24 नियंत्री पदाधिकारियों ने लेखों के अतिरिक्त वही के समय तक 1453 अर्थ विभागों के अंतर्गत 6489.61 करोड़ रु० के कुल व्यय की गति का सामंजस नहीं किया था। सामंजस व्यय करने व्यय का 32 प्रतिशत होता था।

पूर्ववर्ती वित्तवर्षों में भी बाव बाव विभागीय आंकड़ों का सामंजस उचित किए जाने एवं सामंजस के आवश्यकता पर जोर दिए जाने के बावजूद भी नियंत्री पदाधिकारियों की ओर से इस संबंध में उत्साहितता नहीं रही एवं वर्ष 1999-2000 के दौरान भी व्यय पर विभागीय नियंत्रण में शिथिलता जारी रही। गणितों का विभाग-वार विवरण निम्नका वर्ष 1999-2000 के दौरान भाषाजन नहीं हुआ था, परिशिष्ट-XVI के अनुसार य

एक पृष्ठ गया कि 6489.61 करोड़ रु० के कुल सामंजस गति में से 6241.58 करोड़ रु० का व्यय एच भूमि सुधार विभाग, वित्त विभाग स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कल्याण विभाग, संचायकों राज विभाग कृषि विभाग एवं ग्रामी विकास विभाग में संबंधित थे।

वित्तीय नियमावली में बताए गए लेखों में दर्ज आंकड़ों के साथ विभागीय आंकड़ों के सामंजस के लिए नियंत्री पदाधिकारियों का समय समत पर अग्रगंभ किया गया था। मासिक प्रसंगिक लेखों के साथ 'बल आयुक्त को (उनके नाम से) प्रधान महालेखाकार (न.ए.ए.ए.ए.ए.) द्वारा भेजा गया सुसंगत रिपोर्टों में भी सामंजस सम्बन्धी तथ्य का उल्लेख किया गया था। इन तथ्यों के बावजूद भी अत्यधिक व्यय असामंजस रह गए (विवरण परिशिष्ट XVI में)।

विभिन्न विभागों के नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा व्यय का सामंजस नहीं किए जाने से रूपर, धाखाभंडों एवं पत्रों आदि के उलापर नहीं होने, जैसा कि वर्ष 1996-97 तक पर्याप्तन विभाग के मामले में देखा गया था, जैसा गंधीर अनियमितताओं का खतरा था।

नियंत्रण पदाधिकारियों के लेखों का मिलान महालेखाकार के लेखों में करने का प्रथमान बिहार वित्तीय नियमावली 475 में वर्णित है जिसको अर्द्धांशिक 8 का उल्लेख किया जा रहा है:

महालेखापाल को पुस्तों में दिए आंकड़ों के साथ विभागीयव्यय द्वारा रख गये लेखों के आंकड़ों के मिलान के लिए विभागीयव्यय और महालेखापाल संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। जबतक किमी. मानन में प्रतिकूल नियम या आदेश न हो, यह ध्यान विचार किया जाए और इसको अंतर्गत रिपोर्टकारी महालेखापाल पर होने। मिलान बहुत मुश्किल है यह आवश्यक नहीं। इसको मंजूर नियम बातो में निर्धारित होंगे;

- (1) अंतिम रूप में प्रकाशित लेखों आंकड़ों वही लागू जो महालेखापाल द्वारा रख गये हों और
- (2) मिलान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभागों में व्यय इतने शून्य है कि खर्च पर कागज़ विभागीय नियंत्रण रखा जा सकता है।

लेखों के मिलान महालेखाकार से करने की आवश्यकता पर वित्त विभाग द्वारा लगातार बल दिया जा रहा है एवं नियंत्री पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जा रहा है। पिछले वर्षों में व्यवस्था में अपेक्षाकृत सुधार भी हुआ है। महालेखाकार के सुझाव पर कई विभागों में महायुक्त नियंत्री पदाधिकारियों का भी प्रावधान किया गया है ताकि लेखों मिलान में सुविधा हो।

बजटी/आधिकारों के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में निम्नी पराधिकारियों की विफलता

वित्तीय वर्ष के समाप्त के बाद अंतिम अनुदानों/वित्तियों वास्तविक रूप एवं परिणामी विधिगतों को उपरोक्त धरती हुए विस्तृत विवरण संलग्न प्रथम महालेखाकार (ले. एवं) के अन्तर्गत महालेखनी विधिगतों का स्पष्ट करे।
 वर्ष 1999-2000 के दौरान 328.41 करोड़ रुपये का अधिकार व्यय एवं 3107.9 करोड़ रुपये का शुद्ध बचत या जो कुल बजट प्राप्ति का 13.14 प्रतिशत है।
 31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

महानेखाकार
 व्यय तथा बचत
 विवरण संलग्न है।
 विधिगतों का स्पष्टीकरण एवं लेखन महानेखाकार द्वारा ही किया जा सकता है।
 विवरण संलग्न है।
 प्रती भेजे हुए अंतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया जा रहा है।
 उपरोक्त के आलोक में इस कोडिका विभाग की सूची से कोडिका करने की रूप की जा सकती है।

वर्ष	कुल बजट	गोला बिकके लिए स्पष्टीकरण अग्रण से	कुल आधिकार	आधिकार/बचत व्ययों की संख्या बिकके अग्रण से	व्ययों की संख्या स्पष्टीकरण अग्रण से	व्ययों की संख्या बिकके अग्रण से	परीक्षता
1995-96	2601	2601	409.00	865	604	70	
1996-97	2026	2026	256.00	823	556	68	
1997-98	3134	2607	12.00	771	664	86	
1998-99	5471	1981	0.33	1188	970	82	
1999-2000	3108	1847	326.00	986	772	78	

व्ययों का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)
 आधिकार/बचतों का स्पष्टीकरण उपरोक्त करने वाले निम्नी पराधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
 कोडिका विभाग की सूची से कोडिका करने की रूप की जा सकती है।

